श्री आनन्द शर्माः बाकी उस पर सहयोग बड़ा कठिन हो जाता है। जब सदन सुचारु रूप से चल रहा है और वित्त मंत्री जी स्वयं कह रहे हैं तो किस को आपत्ति है? ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया)ः देखिए आनन्द जी, विषय समय का है और 31 मिनट का समय मिला हुआ है। यदि तन्खा जी 31 मिनट तक बोलें, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। ...**(व्यवधान)**...

श्री विवेक के. तन्खाः अभी तो मैं 13 मिनट ही बोल पाया हूँ। ...**(व्यवधान)**...

श्री विजय गोयलः सर, मैं request करना चाहता हूँ कि जैसी संसदीय परंपरा रही है और आपने भी बरसों तक सरकार चलाई है, तो उसको चलने दीजिए। यदि और एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होगा तो आपके और वक्ता बुलवा लेंगे। यह तो लिमिट ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया)ः आपने तीन वक्ता दिए हैं। समय का विभाजन करना होगा तो 10-10 मिनट होता है, परंतु चूंकि पहले वक्ता बोल रहे हैं, इसलिए हमने इसको बढ़ाकर 15 मिनट तक ले जाने का निर्णय किया है। कुल मिलाकर समय का उपयोग तो आपको ही करना है, उसमें मेरा क्या है? आप जब समय बढ़ा देंगे, तो मैं भी समय बढ़ा दूंगा। मेरा तो इसमें कोई ...**(व्यवधान)**... आप बोलिए।

श्री विवेक के. तन्खाः मैं यह बोलना चाहता हूँ। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया)ः यह घड़ी आपने बंद करवाई है। मैंने नहीं करवाई है और यह आपके कारण है और यह आपके समय में जाएगा। चलिए, बोलिए।

GOVERNMENT BILL

The Fugitive Economic Offenders Bill, 2018 — *Contd.*

श्री विवेक के. तन्खाः मान्यवर, मेरा यह कहना है कि यह जो बिल है, ये Scheduled Offences के बारे में है। इसमें अगर आप Scheduled Offences देखेंगे, तो करीब-करीब IPC से लेकर जितने भी financial institutions के Acts हैं, सब covered हैं। मैं गिनना नहीं चाहता, उसमें टाइम लगेगा। अब यही जो सब actions हैं, यही schedule offences of properties, जो subject matter होती हैं, उन Acts में भी हैं। For instance, Prevention of Money Laundering Act provides for attachment of money launderers, list out schedule offences having a monitoring value of ₹ 30 lakhs or more, मतलब Money Laundering Act में भी 30 लाख से भी ऊपर के जो offences होते हैं, Schedule offences में होते हैं, उसमें आप attachment करते हो, उसमें आप further कार्रवाई करते हो। इसी तरह Securitization Or Reconstruction of Financial Assets and in Security Interest Act, 2002 में Section 13 provides that if the borrower fails to discharge his liability then the bank without intervention of Board can recover the secured transaction. You take over the assets, अगर borrower कुछ नहीं कर रहा है, आप जाकर उसकी assets take over कर लेते हो। जो confiscation है, वह

[श्री विवेक के. तन्खा]

एक प्रकार से take-over है। Then, Section 19 of the Recovery of Debts due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 provides for the mechanism to attach properties. Section 25 empowers the Recovery Officer to recover the debt by attaching and selling the assets and arresting the debtor. यह इसमें भी है। एक और Act है, Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976. Section 4 of this Act prohibits illegally acquired property and the same can be forfeited by the Central Government. Section 7 provides for forfeiture of properties which are illegally acquired. आज ही पेपर में आया है कि दाऊद इब्राहिम की properties इस provision के तहत attach हुई हैं and they are being auctioned in Mumbai. इसी तरह आप देखेंगे कि Foreign Exchange Management Act है। इसी तरह आप देखेंगे Prevention of Corruption Act जो अभी कुछ दिन पहले हमने पास किया और फिर कल लोक सभा ने पास किया। मेरा यह कहना है कि आप उसी property को कितनी बार attach करेंगे, confiscate करेंगे, forfeit करेंगे। अगर इस बिल का पूरा उद्देश्य यह है कि हम इसको forfeit करके, उनको वापस बुलाएंगे और जब उनको वापस बुलाएंगे, तब all this Confiscation comes to an end, तो जिसकी property forfeit हो चुकी है, वह वापस क्यों आएगा? आपने पहले उनको जाने क्यों दिया? आपको पता था कि they are Wilful defaulters. They are Wilful offenders. आपने उस वक्त तो कोई कार्यवाही नहीं की। यह कार्यवाही कोर्ट में public domain में थी। मुझे विजय माल्या के केस में याद है कि कितनी बार कोर्स उसका passport impound करने की बात कर रही थीं, उसको रोकने की बात कर रही थीं, लेकिन गवर्नमेंट उस वक्त सो रही थी, आपने उसको जाने दिया। इसी तरह से मेहुल चौकसी की बात है, नीरव मोदी की बात है। जब इतने बड़े-बड़े defaulters हुए, wiful defaulters हुए, तो यह कोई एक दिन में नहीं होता है। Hon. Finance Minister Would know that this is a process, जिसमें किसी को wilful defaulter बनाया जाता है। तो हमारे देश की प्रॉब्लम यह नहीं है कि हमारे पास लॉ नहीं है, हमारे देश की प्रॉब्लम यह है कि we don't have the will to stop such people. अगर हमारे देश में will होती, to stop such people, तो ये चीजें नहीं होतीं, irrespective of this law. Laws तो आपके पास बहुत हैं, इतने सारे laws हैं, आप उनको Confiscate कर सकते थे, उनको arrest कर सकते थे, उनको behind the bars भेज सकते थे, लेकिन आपने कभी ऐसा नहीं किया। आप पहले उनको जाने देते हैं, फिर एक बिल ले आते हैं और उस बिल के माध्यम से आप बताना चाहते हैं कि हम कितने vigilant nation हैं, हम कितने alert nation हैं। हम इन लोगों के लिए ऐसा बिल लेकर आए हैं, जिससे अगर ये भाग भी जाएंगे तो वापस लौट आएंगे। कैसे लौट आएंगे? जब उनकी property already confiscate हो चुकी है, वह प्रॉपर्टी अब छूट नहीं सकती है, उनके लौटने से ये प्रॉपर्टीज़ छूटने नहीं वाली हैं, तो वे कैसे वापस आएंगे? तो इसमें प्रॉब्लम दूसरी है। आप समझते हैं कि आपका जो यह बिल है, हम इसका सपोर्ट इसलिए करेंगे क्योंकि ऐसा न करने पर आप कहेंगे कि हम ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। लेकिन उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इन्हें यह बताना चाहता हूं कि हम उन्हें प्रोटेक्ट नहीं करना चाहते, हम सरकार को बताना चाहते हैं कि जो बिल आप लाए हैं, this is too little and too late और आप जिस प्रकार से इसे लाए हैं, this is another law that you are adding, जिसमें already ऐसे repeated actions हो चुके हैं, इसलिए इससे

अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अंत में मैं hon. Finance Minister को यह कहना चाहता हूं कि I will come and congratulate him, अगर जिन चार लोगों के मैंने बार-बार नाम लिए हैं, इनमें से कोई इस लॉ के आने के बाद वापस आता है और मैं उनको आकर खुद चाय भी पिलाऊंगा, in the Central Hall.

श्री भूपेन्द्र यादवः सम्माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, इस बिल पर जब माननीय विवेक के. तन्खा जी बोल रहे थे, तो मुझे ऐसा लगा कि उनको लगता है कि यह बिल केवल कोई slogan है, लेकिन अगर बिल की पृष्ठभूमि देखी जाए तो इस बिल का यह उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति देश से ऊपर नहीं है और सबको कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा। अगर कोई हिन्दुस्तान का व्यक्ति हिन्दुस्तान में चोरी करके, economic offence करके यह सोचकर विदेश चला जाएगा कि देश के कानून उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे, तो यह बिल उसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण औजार है। मैं यहां यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो दल सत्ता से हटते हैं, उसके पीछे कारण होता है। कारण होता है – निर्णय न लेने का और देश की आवाज़ को न पहचानने का। आप हमें बता रहे हैं। आपके समय में black money की रिपोर्ट आयी। आपकी सरकार ने White Paper जारी किया और उसमें यह लिखा, "Black money cannot be effectively fought unless the judicial machinery to deal with it is specialised and trial of offences is expeditious and punishment is exemplary. Legal support to various law enforcement agencies should be enhanced. All financial offences should be tried through a Fast Track Special Court. The Ministry of Law may have to take up this issue on priority and make arrangement for setting up Fast Track Court all over the country in a time bound manner. Judicial officers may be provided input for required technical aspect of economic offences." तो आपने तो नहीं किया, आप तो White Paper लाकर रह गए। इतना ही नहीं, आपकी सरकार के समय में जो Second Administrative Reforms Commission बना था, वीरप्पा मोइली साहब ने उसको हेड किया था। उस Second Administrative Reforms Commission में भी इसकी recommendation की गई थी, लेकिन आपने तो इसे नहीं किया। वर्ष 1960 में insolvency और bankruptcy के संबंध में लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई थी, उसको 47 साल बाद लाने का काम हमने किया है। इस देश में लोग देश का पैसा खाकर बाहर जाते रहे हैं, लेकिन आप लोग कभी insolvency और bankruptcy law को लेकर नहीं आए। वीरप्पा मोइली कमीशन की रिपोर्ट आई, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को तीन साल हो गए थे। हमारी सरकार आने के बाद, हमारे प्रधान मंत्री जी ने केबिनेट में जो पहला निर्णय किया, वह ब्लैक मनी पर एस.आई.टी. बनाने का किया। इसलिए इस देश में जो लम्बे समय तक समस्या रही है, वह समस्या यह रही है कि हम कानूनों को बना नहीं सके और दृढ़ता से उसका पालन नहीं करवा सके। मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं कि आपने इस बिल का सपोर्ट किया है। आप बार-बार दो नाम बोल रहे थे। यहां पर अप्रैल 2017 में, फॉरेन मिनिस्ट्री के जवाब में 30 नाम हैं, और 30 के 30 नाम सदन के पटल पर हैं। वे वही हैं, जो 2004 से 2014 के बीच में बैंकों का ऋण लेकर एन.पी.ए. हुए थे और देश छोड़ कर भागे थे। इसमें किसी का दोष नहीं है, लेकिन शासन व्यवस्था में, सही समय पर कानून कैसे आना चाहिए और माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा था कि हम यह कानून लाने वाले हैं और मैं बड़ी

[श्री भूपेन्द्र यादव]

विनम्रता से कहना चाहता हूं कि बजट का जो सत्र था, अगर उसको हमने बाधित नहीं किया होता, तो काफी सारी संपत्तियों को हम इन 6 महीनों में ज़ब्त कर चुके होते। ...**(व्यवधान)**...

श्री बी.के. हरिप्रसादः किसने बाधित किया था?

श्री भूपेन्द्र यादवः लेकिन कोई बात नहीं, देर आयद दुरुस्त आयद, आपका हम स्वागत करते हैं। जो दूसरा विषय है, उसे हमारी सरकार ने तय किया है। अगर देश में ऐसी कोई दूसरी विरासत रही भी है, तो हमने उसको बदलने का तय किया है। हम मानते हैं। कि केवल आलोचना समाधान का मार्ग नहीं है। यह बात सच है कि 2008 में बैंकों द्वारा कुल 18.6 लाख करोड़ की राशि थी, जो मार्च, 2014 तक बढ़कर 52.15 लाख करोड़ हो गई, इसमें 36 प्रतिशत जो stressed property थी, वह बढ़कर 82 परसेन्ट हो गई। ये आंकड़े इसलिए हैं कि हमें लगता है कि यह जो बिल आया है, यह एक ऐसे सही समय पर आया है, जिस पर हम लोगों को कार्रवाई करनी चाहिए। मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि जो भी घोटाले हुए हैं, जो बैंकिंग धोखाधड़ी हुई है, उनमें दो चीजें हैं। पहली चीज यह है कि अगर अपराधी सरकारी बैंकों का पैसा लेकर, मिली-भगत के साथ भागे हैं, तो निश्चित रूप से, शासन में ऐसे कानून को लाने की आवश्यकता है। दूसरी बात, यह है कि जो कमेटियां बनी, Second Administrative Reforms Commission की रिपोर्ट आई, वर्ष 2001 में, अटल जी के समय में, मित्रा कमेटी की रिपोर्ट आई, उसके बाद पिछले 17 साल से लगातार इस लॉ को बनाने की बात हो रही है। एक लम्बे समय में हम आपराधिक कानूनों के अभाव में अक्षम हो रहे थे, उन आपराधिक कानूनों को लाने के लिए हमारी सरकार ने सही समय पर कदम उठाया है। केवल धोखाधड़ी और घोटालों के लिए जिम्मेदार ठहराना एक विषय है, लेकिन आर्थिक कानूनी अपराधियों को वापस लाने के लिए उपलब्ध सभी कानूनी साधनों का सक्रिय रूप से इस्तेमाल करना, देश के लिए बहुत आवश्यक है। इसके लिए Economic Offenders Act में पूरी व्यवस्था की गई है। देश में एक सबसे बड़ी समस्या काफी लम्बे समय से है। जिस प्रकार से बैंकों का संचालन हुआ है, उस संचालन के कारण आज दुनिया में हम कह रहे हैं कि आकार में हम छठी बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए हैं। परन्तु हमारे सामने चुनौती यह है कि खराब ऋण के मामले में, जो खराब ऋण दिया गया है उसके मामले में हम विश्व में पाँचवें स्थान पर हैं। यह सबसे बड़ी चुनौती इसलिए है कि देश में जो बहुत बड़ी आर्थिक सम्पत्ति है, वह NPA हुई है। चूंकि इस अध्यादेश को संसद के उस सत्र में आना था, यह सही समय पर नहीं आया, हम इसको तुरंत लागू करना चाहते थे और इस अध्यादेश को लागू करने के पीछे सरकार के मन में भी यह विषय है और यह हम सब का भी विषय है कि जो लोग भगोड़ा आर्थिक अपराध के कारण देश का पैसा लेकर भागे हैं, वह पैसा किसका है? वह इस देश के करदाताओं का पैसा है।

प्रो. राम गोपाल यादवः वह आदमी किसका है?

श्री भूपेन्द्र यादवः राम गोपाल जी, 30 लोगों की लिस्ट है और उसमें से एक भी आदमी को, सिंगल आदमी को हमारे समय में न तो ऋण दिया गया है, न कोई प्रोटेक्शन दिया गया है और उनकी सम्पत्तियों को ज़ब्त करने के लिए हम यह कानून लेकर आए हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री नीरज शेखरः आप असत्य कह रहे हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री भूपेन्द्र यादवः उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि इसका उपयोग महिलाओं, किसानों, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों, बेरोजगार युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लाभ और सुधार के लिए किया जा सकता है। इस पैसे का इस्तेमाल हम भगोड़ा आर्थिक अपराध के अंतर्गत सड़कों, पुलों, स्कूलों, अस्पतालों के निर्माण के लिए कर सकते हैं। मेरे से पहले जो काग्रेस के वक्ता बोले हैं, उनकी तरह हम यह नहीं कह सकते हैं कि सरकार यह बिल क्यों लायी है? लेकिन सही समय पर रोकथाम इलाज से बेहतर है। ऐसा कहा जाता है कि छोटे झगड़े, छोटे कर्जे का सही समय पर इलाज कर दिया जाए, तो अच्छा रहता है। बाद में वह लंबा बने, एक छह महीने का समय देकर उसका सही समय पर एक न्यायोचित इलाज कर दिया जाए, तो वह ज्यादा ठीक है। इसीलिए अभी माननीय मंत्री जी ने भी इस बिल की आवश्यकता बताते हुए कहा है कि The Fugitive Economic Offenders Bill का जो उद्देश्य है, वह इस तरह के आर्थिक अपराधियों से निपटना है। शुरू में सभापति जी ने भी यह विषय रखा था कि द्विपक्षीय समझौतों के कारण, भारत के जो समझौते हैं, उनका उद्देश्य प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित कराना, अपने जुडिशियल ऑर्डर का पालन सुनिश्चित कराना, उनको वापस लाना एक जटिल प्रक्रिया है, लेकिन इस प्रकार के जो आर्थिक अपराधी हैं, उनके बारे में इस बिल के उद्देश्य में भी कहा गया है। पहला, उन्होंने यह तय कर लिया है कि भारत के कानून का उनको पालन नहीं करना है, इसीलिए वे देश छोड़कर भाग गए हैं। दूसरा, अगर वे यह मानकर चलते हैं कि भारत की न्यायिक परिधि में, वे आना नहीं चाहते और इस उद्देश्य के साथ, वे अपने कुटिल उद्देश्य के साथ, अगर देश छोड़ते हैं और देश के शासन का उल्लंघन करते हैं, तो थोड़े समय का नोटिस देकर, कानूनी प्रक्रिया के द्वारा उनकी सम्पत्तियों को जब्त करके, उसका उपयोग सरकार के द्वारा किया जाना, यह इस बिल के स्वरूप में तय किया गया है। इसलिए इसमें जो आर्थिक भगोड़ा है, उसकी पहचान और घोषणा का एक नियम बनाया गया है। इसके अंतर्गत जो भी अधिकारी इसका सर्वेक्षण करेंगे, स्थान, व्यक्तियों की खोज करेंगे, उन्हें रिकॉर्ड्स, सम्पत्ति और अपराधी की आय ज़ब्त करने का अधिकार दिया जाएगा। उसके लिए भी पूरे प्रबंधन की दृष्टि से एक प्रशासक की नियुक्ति का अधिकार इस बिल के अंतर्गत दिया गया है। यहां पर मैं महत्वपूर्ण रूप से याद दिलाना चाहूंगा कि यह विधेयक इसलिए आवश्यक है कि जो मौजूदा कानून हैं, मैंने कमेटियों की रिपोर्ट्स भी पढ़ी हैं और आप लोग जो ब्लैक मनी पर व्हाइट पेपर लाए थे, उसमें भी आपने माना था कि इस समस्या से निपटने के लिए जो वर्तमान कानून हैं, वे अपर्याप्त हैं। अपराध की प्रक्रिया से छेड़छाड़ करने वाले अपराधियों को रोकने के लिए कोई प्रभावी, कुशल और त्वरित तंत्र हमारे पास मौजूद नहीं है। इसलिए मौजूदा कानून में सुधार के लिए प्रावधान करना आवश्यक था और इसलिए हमारी सरकार इस कानून को लेकर आयी है। इस कानून के अंतर्गत विशेष यह है कि किसको भगोड़ा घोषित किया जाएगा। मेरा यह मानना है कि सबसे पहले, जब हम यह कहते हैं कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, तो बड़ी मछलियों को पकड़ना बहुत आवश्यक है। महोदय, इसमें जो protection मिलता है, उस protection को रोकने के लिए कठोर कानून लाना आवश्यक है। इसलिए भगोड़ा घोषित करने के लिए इस बिल के अन्तर्गत जो प्रावधान किया गया है, वह यह है कि 100 करोड़ रुपए से अधिक राशि के जो लोग हैं, जिन्होंने देश को छोड़ दिया है और अभियोजना पक्ष के सामने जिन्होंने कानूनी रूप में जाने से इंकार कर दिया

[श्री भूपेन्द्र यादव]

है, जिन्होंने एक तरह से देश के कानून को मानने से इंकार कर दिया है, उनके खिलाफ यह बिल लाया गया है।

महोदय, इसका जो पूरा schedule श्री विवेक के. तन्खा ने पढ़ा है, वास्तव में insolvency, bankruptcy, income tax में भी payment है, यानी जुर्माना है और excise में भी जुर्माना है। जुर्माना है या आर्थिक अपराध है। इस प्रकार जो सारे विषय अपराध की श्रेणी में आते हैं, उन्हें इसके schedule के अन्तर्गत डाला गया है। दूसरा विषय है कि इसमें जो निदेशक नियुक्त किया गया है, उस नियुक्त निदेशक की भी। जिम्मेदारी तय की गई है कि वे laundering की रोकथाम के लिए विशेष न्यायालय में ही जाएंगे। इसलिए हमने PMLA में, जिस अदालत को designate किया है, उसमें जाने के बाद उसके ठिकानों और सम्पत्तियों की जानकारी अदालत को दी जाएगी और फिर सम्पत्ति को ज़ब्त करने का जो अधिकार है, वह तुरन्त नहीं है। Record का सर्वेक्षण करने के बाद 180 दिनों का समय दिया जाएगा। इसमें सरकार द्वारा किसी के भी। नागरिक अधिकारों को छीनने का प्रयास नहीं किया गया है। 180 दिनों का समय देने के बाद, यह विधेयक कुछ अधिकारियों को सर्वेक्षण करने, परिसर की खोज करने और आय को ज़ब्त करने का अधिकार देता है। Search और seizure के जो procedures हैं, ये वही procedure होंगे, जो CrPC में किए जाते हैं। इसलिए किसी के अधिकारों को लेने का कोई अतिरिक्त प्रावधान इस बिल में नहीं किया गया है। जो कार्यवाही है, वह PMLA की जो विशेष कोर्ट है, उसे अदालत में कार्यवाही करने का अधिकार है, वह दूसरी बात है।

महोदय, अदालती कार्यवाही में भी पहले उस व्यक्ति को नोटिस जारी किया जाएगा और उसके बाद कम से कम छः सप्ताह का समय दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जब आप गए हैं और आपको छः सप्ताह का समय है, तो छ : सप्ताह के समय के अंदर आप अदालत में आ कर अपना विषय रख सकते हैं, वरना यह माना जाएगा कि आप नहीं आना चाहते हैं और कार्यवाही को समाप्त कर दिया जाएगा। दूसरी बात सम्पत्ति की ज़ब्ती की प्रक्रिया के बारे में है। यदि व्यक्ति विशेष अदालत द्वारा निर्दिष्ट समय पर आने में विफल रहता है, तो अदालत आवेदन सुनने की प्रक्रिया शुरू कर देगी। आपको छः सप्ताह का नोटिस देने के बाद अगर आप अदालत में आने में असफल रहते हैं और आप इस देश के कानून को नहीं मानते हैं, तो निश्चित रूप से अदालत उस प्रक्रिया को शुरू करेगी और कार्यवाही के समापन पर यदि न्यायालय संतुष्ट है कि वह व्यक्ति भगोड़ा आर्थिक अपराधी है, तो न्यायालय उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करेगा और इस तरह के व्यक्तियों की सम्पत्ति की जब्ती, जो अपराध की आय से बनी हैं, वह बेनामी सम्पत्ति, चाहे हमारे देश में हो या विदेश में हो, उसे कब्जे में लेने का आदेश जारी कर सकेगी। दावों को दाखिल करने से रोकने का जो प्रावधान किया गया है, वह उसी सम्पत्ति के संबंध में है, जब वह नोटिस को छोड़ेगा, तो उसी के संबंध में दिया गया है। इसलिए मैं यह मानता हूं कि सरकार जो यह बिल लेकर आई है, इसमें कानूनी प्रक्रिया के पूरे पालन का मौका दिया गया है।

महोदय, अभी एक और विषय, जो इस बिल के संबंध में बार-बार कहा जाता है वह है कि ज़ब्त सम्पत्तियों को 90 दिन के अंदर निपटाने का जो प्रावधान है, उसमें सरकार जल्दबाजी कर रही है, जबकि वास्तविकता यह है कि दुनिया में अगर हमें अपने देश को उठाना है और आगे

बढ़ाना है, तो दुनिया में भ्रष्टाचारों से लड़ने के जो कानूनी मानदंड हैं, प्रक्रियाओं को पालन करने के जो मानदंड हैं, उन मानदंडों का हमें पालन करना पड़ेगा। इस बिल का उद्देश्य क्या है? इस बिल का उद्देश्य है कि जो अवैध धन है, जो illegal money है, देश की सम्पत्ति में लोगों को धोखा देकर कमाई गई जो राशि है, इस देश के कानून के विरुद्ध जो ली गई राशि है, उस राशि को एक तरह से recover करने का तरीका है। सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासक को जो अधिकार दिए गए हैं, उसमें आर्थिक अपराधी की बकाया राशि को कवर करने के लिए वह आवश्यक सीमा तक उसकी सम्पत्तियों का निपटान करेगा। इसमें प्रशासक को मनमाने ढंग से कार्य करने की छूट नहीं है। हमें यह ध्यान देना चाहिए कि अधिकांश आर्थिक अपराधों में जो सबसे बड़ा विषय है, वह ऋण को न चुकाना है। जो NPA Asset है, उसकी सबसे बड़ा समस्या है कि सरकार और बैंक से लिया गया जो पैसा है, उसे न चुकाना। यह जो मानसिकता है, इस मानसिकता के खिलाफ एक कड़ा कानून लाना आवश्यक है। यह विधेयक इन सभी प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करता है और उसका अनुपालन एक सख्त प्रक्रिया के द्वारा किया गया है।

महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि इसमें जो अधिकरण है, जो PMLA है, उसमें जो उसकी शक्तियां हैं, उन्हें सुनिश्चित किया गया है। इसलिए किसी भी प्राधिकरण द्वारा अपनी शक्तियों का किसी भी प्रकार से दुरुपयोग करने की कोई गुंजाइश न रह जाए, इसका इस बिल में पूरा प्रावधान किया गया है। लोग अक़सर कहते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 21 में हमने सभी लोगों को समान रूप से जीवन जीने का अधिकार दिया है। देश में किसी नागरिक को समान रूप से जीवन जीने का जो अधिकार है, वह अधिकार वास्तव में उस व्यक्ति के पास है, जो देश में एक नागरिक के रूप में सम्मानपूर्वक तरीके से जीवन जीना चाहता है, लेकिन जो देश की संपत्तियों को लेकर भगोड़ा बनना चाहता है, उसके लिए यह बहुत अच्छा कानून है। मैंने प्रारंभ में भी कहा है कि हमारी विभिन्न कमेटियों की जो रिपोर्ट्स आई हैं, उनमें भी कहा गया है कि भारतीय अदालतों के आदेशों को विदेशी अधिकारियों की मदद से विदेशी राष्ट्रों में निष्पादित करने की जो प्रक्रिया है, वह बहुत कठिन है। भारत की कई देशों के साथ पारस्परिक कानूनी सहायता एवं प्रत्यर्पण के लिए bilateral treaties हैं। हम उसका विस्तार करेंगे, लेकिन उससे पहले, जो व्यक्ति गलत तरीके से देश के धन को लेकर गए हैं, एक प्रकार से उनके लिए, इस बिल के द्वारा कुछ प्रावधान करने का विषय रखा गया है और इसीलिए हमारे यहाँ, इस सदन में, इसको लाया है। महोदय, मैं अंत में अपने विषय को समाप्त करते हुए यह कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पर राज्य की जो कल्पना की गई है, उस राज्य की कल्पना के कई बहुत अच्छे विषय हैं। महाभारत के शांति पर्व में कई अच्छे विषय आते हैं। उसमें एक जगह कहा गया है

अस्तां प्रतिषेधस्य..... समरेचपलायनम् ।।*

इसका अर्थ यह है कि हमारे यहाँ, जो पहले sovereign माना गया है, वह राजा को या स्टेट को माना गया है, लेकिन जो भी sovereign स्टेट है, उसका सबसे बड़ा धर्म पालन क्या है? उसका सबसे बड़ा धर्म पालन यह है कि वह दुष्टों को दंड दे और सद्पुरुषों का पालन करे। जो लोग देश के पैसे को लेकर भागते हैं, जो लोग देश के पैसे के साथ एक तरीके से क्रूर मज़ाक करते हैं कि हम दूसरे देश में चले जाएंगे और हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, उनको दंड

* Hon'ble Member spoke in Sanskrit.

[श्री भूपेन्द्र यादव]

देना, उनकी संपत्ति को एक न्यायपूर्ण तरीके से ज़ब्त करके देश के विकास में लगाने के लिए यह एक ऐसा महत्वपूर्ण विधेयक है, जिसकी एक लंबे समय से प्रतीक्षा थी। आज हम सब मिलकर इस संकल्प के साथ इस बिल को पास करें कि आगे से कोई भी इस देश के पैसे को अवैध रूप से अर्जित करके कहीं भाग न सके। उसकी संपत्ति, जो यहाँ पर है, वह भारत सरकार के अधीन लाकर देश के लाभ के लिए लगनी चाहिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): सुखेन्दु शेखर राय जी को कहीं जाना है। इन्होंने एस.पी. और एआईएडीएमके पार्टी के जो पूर्व वक्ता हैं, उनसे आग्रह कर लिया है, इसलिए मैं सुखेन्दु शेखर राय जी को बुलाता हूं।

श्री सुखेन्दु शेखर राय (पश्चिमी बंगाल): बैंक यू सर, मैंने श्री ए. नवनीतकृष्णन और नीरज शेखर जी से बात कर ली है।

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): ठीक है। ये तो नवनीत हैं, इसलिए आपको इजाज़त दी है, यह अच्छा है।

श्री नीरज शेखर (उत्तर प्रदेश): और मैं तो कमल हूं।

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): ठीक है। आइए, आपका स्वागत है।

श्री सुखेन्दु शेखर राय: उपसभाध्यक्ष जी, नैतिकता के आधार पर जो बिल लाया गया है, उस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए और हमें भी इस पर आपत्ति नहीं है, लेकिन हमें संदेह है। मेरे मन में संदेह है, संशय है कि यह बिल कितनी दूर तक सफलता लाएगा? क्योंकि पिछले मार्च महीने में, लोक सभा में 14 मार्च को सरकार ने बयान दिया था कि अभी तक तीस भगोड़ा आर्थिक अपराधी हिंदुस्तान से बाहर हैं। उनमें मि. साइलेंट मोदी भी है, मि. किंगफिशर माल्या भी है और जो पेप्सी या चोकसी है, वह भी है। इतने सारे लोग भगोड़े हैं। अभी यहाँ जो बताया गया है, मैं उसका खंडन करना चाहता हूं कि इन सभी लोगों ने सिर्फ कांग्रेस के समय में पैसा लूटा और भाग गए। ऐसा नहीं है, क्योंकि इस समय में भी बैंकों से पैसा लिया गया। पीएनबी का जो 14 हज़ार करोड़ का स्कैम हुआ है, उन लोगों ने इस टाइम में भी कुछ पैसा लिया और भाग गए, ये तस्वीरें खिंचने के बाद। यह सिलसिला बहुत दिनों से चल रहा है। ये आर्थिक अपराधी हैं, इसलिए आज हम ज्यादा चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जो other terrorists हैं, दूसरे criminal offenders हैं, वे भी बहुत दिनों से भगोड़े हैं और सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। अगर कदम उठाया भी है, तो कुछ नहीं कर पाई। जैसे हमारे पश्चिमी बंगाल के पुरुलिया में आर्ल्स ड्रॉप की घटना हुई थी। वहाँ पर कुछ terrorist activities चलाने के लिए प्लेन से आर्स गिराए गए थे। आज 25 साल बीत चुके हैं, लेकिन हिंदुस्तान की सरकार उस लाटवियन किम डेवी को आज तक वापस नहीं ला पाई।

दाऊद इब्राहिम अभी भी बैठा हुआ है, हाफिज़ सईद अभी भी बैठा हुआ है, ज़ाकिर नाइक बैठा हुआ है। सरकार कह रही है कि उसको भेजो और वह जहाँ बैठा हुआ है, वहाँ की सरकार कह रही है कि हम नहीं भेजेंगे। वह प्रेसिडेंट के साथ तस्वीर खिंचवा रहा है, जैसे यहाँ भी कुछ

लोगों की तस्वीर खिंचवाई गई थी। यह सब चल रहा है। यह तो अन्दर से मिलीभगत है।

सर, चेयरमैन साहब ने इस बिल पर चर्चा शुरू होने के समय आज जो यह मुद्दा उठाया कि कोई तो रास्ता निकाला जाए, तो मेरा यह कहना है कि इसे कैसे किया जाए। पहली बात है – Extradition Treaty. मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार बताए कि हिन्दुस्तान की Extradition Treaty या DTAA कितने सारे देशों के साथ है? हमारे हिसाब से Extradition Treaty only 48 countries के साथ है। दुनिया के only 48 countries के साथ हमारी Extradition Treaty है तथा और 9 देशों के साथ Extradition Arrangement है। इस तरह से कुल मिला कर 57 countries के साथ हमारा Extradition Arrangement है। बाकी देशों के साथ यह नहीं है। इसलिए वह पेप्सी या चोकसी एक जगह चला गया। आज अखबार में छपा है कि वह caribbean country, Antigua में चला गया। Antigua में बैठ कर उसने वहाँ पासपोर्ट खरीद लिया। उसने एक-दो करोड़ रुपए देकर पासपोर्ट खरीद लिया। अखबार में ऐसे details आए हैं। ऐसे बहुत सारे देश हैं। इसके पहले जतिन मेहता गया, वह भी एक आइलैंड में बैठ गया। मैं कह रहा हूँ कि कानूनी तौर पर हिन्दुस्तान की सरकार उसको कभी भी छू नहीं सकती। वह इन लोगों को कभी भी छू नहीं सकती। फिर रास्ता क्या है? हमारे तन्खा साहब कह रहे थे कि United Nations का एक International Convention है और Member States signatories हैं, इसको उस स्तर पर ले जाना चाहिए। हिन्दुस्तान की सरकार को United Nations में चर्चा करनी चाहिए कि हर देश, जो United Nations का मेम्बर है, उसका दूसरे देशों के साथ bilateral agreement होना चाहिए। जिन-जिन देशों के साथ हमारा bilateral agreement नहीं हुआ, वह क्यों नहीं हुआ? इसको जितनी जल्दी हो सके, किया जाए, लेकिन सरकार की ओर से संयुक्त राष्ट्र संघ के स्तर पर इस सम्बन्ध में अभी तक कोई भी step नहीं लिया गया है, मुझे इसके बारे में खेद है।

सर, अभी उस पेप्सी या चोकसी वगैरह के बारे में बात आई। वह कह रहा है कि हम हिन्दुस्तान वापस नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि वहाँ mob lynching हो रही है। Mob lynching तो होगी ही। अगर तुम आम जनता का पैसा लूट कर भाग जाओगे और वह भी 15 हजार करोड़, तो यह तो होगी ही। यहाँ कोई इंसान मीट ले जा रहा है, उसकी lynching हो रही है, किसी इंसान ने किसी से love marriage की, उसकी mob lynching हो रही है, तो जो पब्लिक के 15 हजार करोड़ रुपए लेकर भाग गया, उसकी mob lynching कैसे नहीं होगी? यह हो सकती है। आशंका तो पैदा होती है। इसलिए यह कोई ground नहीं हो सकता है कि यहाँ mob lynching होती है। मि. किंगफिशर माल्या बोल रहे हैं कि हम वहाँ नहीं जा सकते, क्योंकि हिन्दुस्तान के जेल की condition बहुत बुरी है। वे बाईं तरफ किसी को लेकर, दाहिनी तरफ किसी को लेकर कैलेंडर बनाते थे। वह ज़माना चला गया, अब वे हिन्दुस्तान की जेल में नहीं रह सकते। वे क्या मज़ाक उड़ा रहे हैं। ये लोग विदेश में बैठ कर हमारे देश की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं और हम खामोश बैठे रहें, यह नहीं हो सकता है। इस पार्लियामेंट को और गम्भीरता के साथ इस बिल पर चर्चा करनी चाहिए और इसमें सुधार लाना चाहिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि इस बिल में बहुत सारी inconsistencies हैं, बहुत सारी असंगतियाँ हैं, असम्पूर्णता है। अभी बताया गया कि 100 करोड़, तन्खा साहब ने यह मुद्दा उठाया था कि अगर यह 100 करोड़ या उससे ज्यादा होगा, तो वह economic offender होगा। क्यों? जिसने 90 करोड़ लिए, 99 करोड़ लिए, 95 करोड़ लिए, क्या वह economic offender नहीं होगा? मैं दिखाऊँगा। अभी तो

[श्री सुखेन्दु शेखर राय]

पीयूष गोयल जी नहीं हैं, कल वे मेरा मज़ाक उड़ा रहे थे कि शायद मेम्बर के पास information है और सरकार के पास नहीं है। अभी मैं जो information देने वाला हूँ, अगर वह सरकार के पास नहीं है, तो मैं आपकी इजाज़त से उसे इनको दे दूंगा कि बैंकों का जो fraud किया गया है, वह कैसे किया गया है। इसके बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका यह भी है कि मैंने 20 कंपनियाँ खोलीं और 20 बैंकों से लोन लिया। किसी से 20 करोड़ रुपये का लोन लिया, किसी से 70 करोड़ का लिया, किसी से 90 करोड़ का लिया और किसी से 80 करोड़ का लिया, इस तरह पूरी group of companies का total loan 500 करोड़ रुपये से ज्यादा है। अधिक लोन लेने का यह भी एक तरीका है, तो यहां अभी जो 100 करोड़ रुपये के लोन की बात बताई गई, मेरे विचार से यह एकदम ठीक नहीं है, इसको सुधारना चाहिए। जो 100 करोड़ रुपये की सीलिंग की बात कही है, यह ठीक नहीं है, इसको चेंज करना चाहिए। आगे जाकर कानूनी तौर पर इसमें बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं।

सर, मुझे आप दो मिनट एक्स्ट्रा दे दीजिए, प्लीज़। मैं कभी भी एक्स्ट्रा समय नहीं मांगता, लेकिन आज दे दीजिए।

Under Clause 14 of this Bill, any Court or tribunal may disallow a fugitive economic offender from filing or defiling any civil claim before it. यह legal access में आपने जो bar लगा दिया है, कल अगर यह challenge हो जाता है, तो शायद आपको इसे हटाना पड़ेगा। Anita Kushwaha VS. Pushap Sudan, reported in Supreme Court cases in the year 2016, इसमें कोर्ट ने बोला कि जस्टिस पाने के लिए अगर हम legal access मांगते हैं, तो उसको आप deny नहीं कर सकते, यह हमारे संविधान के खिलाफ है। मेरे ख्याल से यह Clause, Contentious Clause है। दूसरा, भूपेन्द्र यादव जी अभी इस बिल के समर्थन में बोल रहे थे कि sale proceeds of confiscated property को सरकार काम में लगाएगी, लेकिन confiscated property की sale proceeds को सरकार कैसे काम में लगाएगी, यह नहीं बताया गया। जैसे पंजाब नेशनल बैंक का 14,000 करोड़ रुपया चला गया, लेकिन अगर आखिर में property confiscate करने के बाद कुछ पैसा बरामद होता है, तो क्या वह पैसा पंजाब नेशनल बैंक के पास वापस आएगा या नहीं आएगा, इस बिल में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। अभी तनखा जी ने Search के बारे में बताया foh UE Criminal Procedure Code Th Section 94 and Section 100 violation है। Search, without warrant, cannot be done. वह यहां Rule में बताया गया, लेकिन अगर इसे आप law में नहीं लाए और delegated legislation में ला रहे हैं, तो यह भी court में challenge हो सकता है।

आखिर में मैं बोलना चाहता हूं कि आप उन लोगों को जो कोर्ट में जाने का access नहीं दे रहे हैं, वहां Article 21 of the Constitution will be violated. That cannot be taken away without due process of law. There is a bar. Right of property, although it is not a fundamental right, it is under Article 300 A of the Constitution. So it is a constitutional right. You cannot take away that constitutional right without due process of law. It is my humble submission that these points should be taken care of by the Government. Thank you.

श्री नीरज शेखरः महोदय, मैं "भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक, 2018 पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय, मैं इसका समर्थन तो कर रहा हूं, लेकिन मुझे एक आशंका है। हम लॉ तो बना देते हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन कितना होता है, मैं उसी के बारे में सोच रहा हूं। निर्भया कांड के बाद हमने लॉ बनाया, लेकिन आज इस देश में हमारी बेटियों और महिलाओं की स्थिति क्या है, वह इस देश के सामने है। हम कानून तो बना देते हैं, लेकिन उसको कहां तक इम्प्लीमेंट करते हैं, यह सबसे जरूरी बात है। जो लोग भारत से भागे हैं, जिनकी वजह से यह कानून बनाया जा रहा है, जैसे नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल भाई, मुझे आशंका इस बात की है कि सत्ता में बैठे हुए लोग इस कानून को इम्प्लीमेंट करना भी चाहते हैं या नहीं? जब मेहुल 'भाई' हैं, कहा गया, 'मेहुल भाई बताएं', तो मुझे आशंका यह होती है कि ये भगोड़े हैं या फिर इनको भगाया गया है? जिस व्यक्ति के साथ खड़े होकर आप फोटो खिंचवा रहे हैं, कुछ दिनों बाद वह व्यक्ति भाग जाता है, तो मुझे आशंका होती है कि वह व्यक्ति खुद भागा या भगाया गया? मुझे शंका है कि जो इस देश का चौकीदार है, वह क्या कर रहा है? वह चौकीदारी कर रहा है या लोगों को भगाने का काम कर रहा है? मुझे इस चीज़ को लेकर आशंका है।

श्री विजय गोयलः आप इस तरह की बात मत बोलिए।

श्री नीरज शेखरः क्यों नहीं बोलें? मंत्री जी, आप मुझे बोलने दें, मैं कोई असंसदीय बात नहीं बोल रहा हूं। जो भी बात मैं कह रहा हूं, सही कह रहा हूं। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि सब लोग यह जानते हैं कि जब विजय माल्या जी इस देश को छोड़ कर गए, तो 12 या 14 बक्से साथ लेकर गए। मुझे बताएं, यह बात सब लोग मानते हैं या नहीं मानते हैं? क्या उनसे पूछा गया? किसी को आशंका नहीं हुई कि इस देश का पैसा लेकर ये जा रहे हैं, ये विदेश जा रहे हैं, 18-20 बैग्स लेकर, तो कैसे चले गये? किसी से भी पूछा गया? एक साल पहले, 2017 में नीरव मोदी के यहाँ BRI की raid हुई थी। वह raid 7 दिन तक चली थी। एक साल तक वह आदमी हर काम करता रहा। उसको बोला गया कि आप 40 करोड़ डिपॉज़िट करिए, तो उसने 48 करोड़ डिपॉज़िट किया। इससे आशंका नहीं होती है? कोई व्यक्ति, जिसको बोला जाए कि 40 करोड़ डिपॉज़िट करो, तो वह 48 करोड़ डिपॉज़िट कर रहा है, तो वह ऐसा क्यों कर रहा है? वह इसलिए ऐसा कर रहा है, क्योंकि वह एक साल बाद इस देश से, इस देश का पैसा लेकर भागने वाला है। आप फोटो खिंचा रहे हैं! इस देश के सारे लोग, सारे मंत्री, उनके साथ फोटो.. मेहुल भाई, नीरव भाई। सब भाई हैं। मुझे इसलिए इस बिल पर आशंका है। यह बिल तो अच्छा है, यह बिल बहुत बढ़िया है। हम लोग बाहर से सब को ले आयेंगे। यह तो मैं मान रहा हूँ। वहाँ जाकर वे लोग क्या कमेंट कर रहे हैं, मेहुल भाई, कि यहाँ पर lynching हो रही है। सुखेन्दु शेखर राय जी सही कह रहे थे। क्या lynching हो रही है? आप अगर देश का पैसा लेकर भागेंगे – और यह भी नहीं, कि इस पर रुक गये कि इस देश का पैसा ले गये। वे बाहर जाकर हमारे देश को बदनाम भी कर रहे हैं कि यह लिंचिस्तान है। यह क्या हो रहा है? इसलिए इस बिल पर मुझे आशंका है। मैं यह बात फिर से बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। मुझे शक इस बात का है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बैंकों से पैसा लिया गया और कुछ पैसा यहाँ देकर वे निकल गये कि बाद में उसका इस्तेमाल चुनाव वगैरह में हो। मुझे इसकी आशंका है। ये सारी आशंकाएँ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं यह बात बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, क्योंकि यह सिर्फ मेरी ही आशंका नहीं है। मेरे से पहले तीन बड़े वकीलों ने अपनी बात

[श्री नीरज शेखर]

कही है। मैं एक साधारण नागरिक हूँ, जो इस देश के बारे में सोचता है। इस देश की जनता सोच रही है कि लोग कैसे बाहर चले गये? वहाँ जाकर वे ऐसी बातें करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं। सबसे पहले ये लोग यह पूछ रहे हैं कि यह कानून क्यों लाया गया, क्योंकि आप मानते हैं कि हम लोग अब उनको वापस नहीं ला सकते हैं। एक-एक व्यक्ति, इस देश के प्रधान मंत्री से लेकर एक साधारण व्यक्ति तक जानता है कि उनमें से एक भी आदमी वापस नहीं आने वाला है। यह बात सब लोग जानते हैं। तो यहाँ पर जो बाकी बच गया है, उसको बेच कर जो पैसा मिलेगा, वही इस्तेमाल कर लिया जाए। आपने विजय माल्या का प्लेन बेचने के लिए लगाया। वह कितने में बिका? क्या उसे खरीदने के लिए कोई सामने आया? इसलिए, यह सब कानून बना दें, लेकिन इस देश के लिए उसका कोई फायदा तो हो। आदमी फिर भी उसके बाद निकल जाएगा। अब तो मुझे लगता है कि जो व्यक्ति भागने वाला होगा, वह अपनी प्रॉपर्टी भी बेच कर जाएगा। उसकी जमीन वगैरह भी जो है, वह भी पहले बेच देगा कि मैं सब इकट्ठा करू और विदेश चला जाऊँ। सही कहा कि 47 देशों के साथ आपकी extradition treaty है। अगर कोई एक देश में चला गया, तो आप क्या कर लेंगे? हम लोगों को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। हम लोग अमेरिका नहीं हैं। आप वही कानून यहाँ पर ला रहे हैं कि अमेरिका कहता है कि वहाँ पर भी उसकी जो प्रॉपर्टी होगी, उसको मैं बेच दूंगा। क्या आप बेच लेंगे? एक नायक को तो आप नहीं ला सके। उस देश के राष्ट्रपति ने उसके साथ फोटो खिंचाकर कहा कि नायक कभी भी वापस नहीं जाएगा। आप वहाँ जाकर जमीन बेच देंगे? आप कानून ऐसा बनाइए, जिसे आप इस्तेमाल में ला सकें। आप ऐसा कानून मत बनाइए, अपने को दिखाने के लिए, कि हम कानून ला रहे हैं, हम सबको पकड़ लेंगे। 4 साल हो गये। हर बार, जब भी भाषण होता है, भूपेन्द्र जी हमेशा इस बात का जिक्र जरूर करते हैं कि हमने आते ही ब्लैक मनी के लिए SIT बनायी। क्या ब्लैक मनी आयी? आपने SIT तो बना दी, लेकिन क्या इस देश में कुछ आया, इन 4 सालों में कोई पैसा आया? ...**(व्यवधान)**... मैं उस पर आ रहा हूँ। ...**(व्यवधान)**... मैं SIT वाली बात यह कह रहा हूँ कि जब demonetisation चल रहा था, तब रोज फिगर्स आ जाती थीं कि आज 9 लाख करोड़ आ गये हैं, आज 10 लाख करोड़ आ गये हैं, लेकिन आज 2 साल हो गये हैं, लेकिन फाइनल फिगर ही नहीं आ रही है। क्या अभी भी पैसा आ रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार कैसे चल रही है? इन्होंने सारा डेटा देना बन्द कर दिया है। Employment का डेटा, unemployment का डेटा नहीं है, इनके पास कोई डेटा नहीं है। 2015 के बाद इस देश के पास कोई डेटा ही नहीं है। ऐसा इसलिए, क्योंकि हम बता रहे हैं कि आप सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते और इस देश को सच्चाई बताना नहीं चाहते। इस कानून में एक प्रावधान है कि कभी भी, कोई भी व्यक्ति, कहीं पर भी जाकर सर्च कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है। मैं जानना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति के साथ फोटो खिंचवाया गया, जिस व्यक्ति को आप मेहुल भाई कहते हैं, क्या उससे भी पूछताछ की जाएगी? क्या उसकी भी सर्च होगी और अरेस्ट किया जाएगा? यह सरकार बताए, क्योंकि इस कानून में आपने प्रावधान किया है। हो सकता है कि उनके साथ संबंध हों – हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है ? इसलिए आप ऐसा कोई कानून न बनाएं, अपने विरोधियों को ठीक करने के लिए कानून न बनाएं, किसी के भी यहां सर्च करने लगे, किसी को भी अरेस्ट कर लें। ...**(व्यवधान)**... आपकी मानसिकता यही है। ...**(व्यवधान)**... इस बिल में आपने जो प्रावधान किए हैं, मैं उनके बारे में ही बता रहा हूं। मैं इसका विरोध नहीं

कर रहा हूं। आप कानून का दुरुपयोग करते हैं और दुरुपयोग कर रहे हैं। देश में सी.बी.आई. का दुरुपयोग हो रहा है, ई.डी. का दुरुपयोग हो रहा है और हर व्यवस्था का आप दुरुपयोग कर रहे हैं। पिछले 4 सालों में कोई काम तो हुआ नहीं, कोई योजना है नहीं, कोई विकास का काम आपने करना नहीं है, लेकिन विरोधियों को कैसे तंग किया जाए, कैसे उन्हें जेल में डाला जाए, कैसे उनको डराया जाए, सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि आपको परेशानी यह हो रही है कि समाजवादी पार्टी और बसपा एक साथ मिल रही हैं। इसे लेकर आपको बड़ी परेशानी हो रही है। प्रधान मंत्री से लेकर एक-एक कार्यकर्ता तक पता नहीं क्यों परेशान है? आप इस कानून को लाइए, हम इसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन इसका दुरुपयोग मत करिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि अंत में आप दुरुपयोग करेंगे। ...**(व्यवधान)**... आप सत्ता का दुरुपयोग करते रहे हैं। आजकल ई.डी. का यही काम हो गया है कि आपके विरोधियों के यहां सर्च करे, विरोधियों की सम्पत्ति के बारे में विचार करे। ...**(व्यवधान)**... ब्लैक-मनी के संबंध में, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से स्पष्टीकरण चाहूंगा कि अब तक कितना पैसा आया? हमारे पास जानकारी आई कि स्विस बैंक में भारत के लोगों का पैसा बढ़ गया लेकिन आज वित्त मंत्री जी कहते हैं कि वह घट गया है। आप किसी एक फिगर पर तो रहिए कि वह पैसा बढ़ा है या घटा है। कहां पैसा गया है, कुछ तो बताइए। ...**(व्यवधान)**... क्या एक दिन में निकाल लिया? ...**(व्यवधान)**... पैसा निकाल लिया होगा, यही होता है। ...**(व्यवधान)**... फिगर आते ही आप कहते हैं कि पैसा निकाल लो, नहीं तो आपके विरुद्ध कार्यवाही होगी, इसलिए लोगों ने पैसे निकालकर किसी ऐसी जगह डाल दिए होंगे, जहां आपको पता ही नहीं चलेगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ...**(व्यवधान)**... मुझे सर, दो मिनट और दीजिए। ...**(व्यवधान)**... किसने निकाले होंगे? ...**(व्यवधान)**... क्वात्रोची ने ...**(व्यवधान)**... मैं कहना चाहता हूं कि जब सदन में नया कानून आया है, ...**(व्यवधान)**... मैं मानता हूं कि समय हो गया है। ...**(व्यवधान)**... अंत में मैं यही कहता हूं कि ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): आप तो अच्छा बोल लेते हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री नीरज शेखर: मैं अंत में यही जानना चाहूंगा कि ...**(व्यवधान)**... जब आप ऐसे लोगों की property attach करेंगे, उस property को बेचकर पैसा कहां इस्तेमाल होगा, क्योंकि मैं कई बार इससे संबंधित प्रश्न पूछ चुका हूं और हमेशा मुझे यही उत्तर मिलता है कि हम उसे विकास के कामों में लगाएंगे, लेकिन बताते नहीं हैं। जब petrol के दाम बढ़े थे, मैं बार-बार पूछता था कि जो पैसा आपको मिल रहा है, क्योंकि 2014 में जब petrol के दाम 108 डॉलर थे, जब 40 डॉलर दाम आ गए तब भी रेट वही था। जो पैसा बचता था, मैं पूछता था कि वह पैसा कहां गया, तो यही कहा जाता था कि विकास के कामों में लगा दिया। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यह पैसा भी क्या उसी तरह विकास के कार्यों में लगेगा? इससे किसका विकास होगा – भारतीय जनता पार्टी का विकास होगा, नागपुर का विकास होगा, कहां का विकास होगा?

मैं फिर से इस बिल का समर्थन करता हूं लेकिन मैं सत्ता पक्ष और वित्त मंत्री जी से चाहूंगा कि इस बिल का दुरुपयोग न करें, धन्यवाद।

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN (Tamil Nadu): Sir, I welcome and support this Bill. At the same time, I would like to place my viewpoints for the consideration of the Government as well as the august body. Procedures have been contemplated

[Shri A. Navaneethakrishnan]

to attach and confiscate the property and not to give opportunity to the economic offender to flee but what is contemplated in the Bill is not sufficient. It is something to be corrected by the Government and the august Members of this House because law is passed by this Parliament. I am of the view that to run away from the country *i.e*, flee from justice, can be made as an offence and failure to appear before the court consecutively for three times, four times, can be made as a specific offence. From this date onwards, if the economic offender, the scheduled offender, fails to appear before the court and recall the warrant, that can be made a specific offence for which punishment can be prescribed, and the punishment must be deterrent one. Even hanging can be contemplated; a minimum fine of ₹ 100 crores can be contemplated; there is nothing wrong in it. What do you mean by an offence? As per jurisprudence, subject to correction, an act or omission which is made punishable by law, and that law should not have a retrospective effect; that is called an offence. Now, my humble submission would be, those who run away from the country, that one part, may not be applicable for the proposed offence, but, continuous, wilful failure to appear before the court in a case where arrest warrants and non bailable warrants are pending, failure to appear before the court in pending cases consecutively for three hearings, this must be made a specific offence, and deterrent punishment must be prescribed and a heavy fine must be imposed. Then only, we can bring back the economic offenders. The properties which are tainted, should be confiscated. At the risk of reputation, our banking system collapsed. Now, all banks are prompt to take corrective action. The Government of India is issuing circulars.

And now, I come to the Punjab National Bank. Nobody knows what had happened in this bank. How was the money given by this bank to that particular offender? Now, we can make a provision in this Bill itself stating that from the date of commencement of this Act, if the economic offenders are not appearing before the court within three months, it constitutes a separate offence, and you give a punishment of hanging, life sentence, and a minimum fine of ₹ 100 crores or ₹ 1,000 crores. This provision can be made in the Bill. Then only, we can bring back the offenders. Whatever extradition proceedings are there, the burden of proof lies with the prosecution. Normally, in economic offences, the burden of proof is only on the prosecution. So, even in this Bill also, to declare a person as an economic offender, the burden of proof is on the prosecution. Even in criminal cases where the warrant is pending, a short duration may be given within which an opportunity must be given to the offenders. These offenders collapsed the Indian economy. The banking system collapsed due to their acts. Even an ordinary man is not able to go

to a bank these days. Now, everybody is afraid of our banking system and they are not having a will even to deposit ₹ 5,000 in the bank because they are under this fear that at any point of time, the bank may go bankrupt. So, this is my humble submission. Otherwise, the Bill is very nice. There is no doubt about it. I think, even Clauses 20, 21, 14 are good. A new offence can be created for the future conduct of the accused. After all, we are asking the accused to appear before the court, face the trial and prove his innocence. If the Parliament is competent, I think, it is more appropriate, and it must be done immediately. So, you must create a new offence, and failure to appear before the court consecutively for three hearings, creates an offence, and because this is an economic offence, it becomes a scheduled offence. Also, the power is given to the Central Government to include any offence in the Schedule. So, one of the most important provisions in the IPC must be included in the offence. I thank the Chair and hon. Members for the patient hearing given to me.

SHRI PRASANNA ACHARYA (Odisha): Mr. Vice-Chairman, Sir, I thank you for the opportunity given to me. In the whole country there is a feeling against the *bhagodas*. Every citizen of the country now wants a stringent law to check these *bhagodas* and bring these bhagodas back. Under these circumstances, we are going to pass this law.

Sir, at the outset, let me clarify that I am not against the Bill; I am also supporting the Bill. But, Sir, I have certain apprehensions and doubts about the legality of the Bill. I draw your kind attention to a landmark judgment of the hon. Supreme Court in 2017. It was a two-judge bench. The court clearly stated that no individual can be penalised without being convicted. I support this Bill. My apprehension is that it may fail to stand scrutiny of the Court in future, as was rightly pointed out by Sukhenduji. Before passing this Bill, we have to be very careful. Under such enthusiasm, let us not do something which, at a later stage, will be rejected by the court of law. That is my apprehension and, therefore, I am quoting this from the Supreme Court.

Sir, the Government should examine whether such a law will be legally sustainable, as I said. Everybody has a right to justice and is presumed to be not guilty till proven guilty. I reiterate that I support this Bill, but these are my apprehensions.

Sir, there are two specific provisions in this Bill which are against the fundamental rights of any citizen. You can't restrain a person from going to the court of law to get justice. The provisions of the Bill restrain any citizen to go to the court of law. Yes, Sir, all of us agree that the so called citizens of India have looted our country; they have plundered our treasury; they have plundered the hard earned money of

[Shri Prasanna Acharya]
the citizens of this country. There is no doubt in it. But nobody is above the law, not even the Government. Therefore, I am repeatedly saying, before passing it, let us be more careful about the wordings and provisions for conducting a trial of the culprits in the Bill.

Sir, one apprehension has been expressed by many Members. We have seen in the past that many Acts have been misused. Many laws of the country have been misread by the authorities. There is no dearth of examples. Many Members were citing those. There is also a doubt: Will this law not be misused in future? That is my apprehension also. That is the apprehension of many people.

Sir, the Bill does not require the authorities to obtain a search warrant or ensure the presence of the witness before a search. This differs from other laws like the Cr. P.C. provisions. What does the Cr.P.C. provide ? It provides for something else. So, we are contradicting. It is okay that in spite of other provisions in any other law of the country, this law will prevail, but this is the difference that I am citing. Cr. P.C. gives us the same safeguard and protects against harassment in planting of evidence. It also provides for confiscation of property of a person who is declared 'fugitive economic offender'; it also differs from provisions of the Cr. P.C. For confiscation of property, it is two years after proclamation of the absconder.

Sir, why is there a capping of a hundred crore rupees, as some Members were pointing out? Why can it not be ₹ 90 crore or ₹ 50 crore? Each paisa of this country is valuable. Why not ₹ 10 crore? I fail to understand as to why did the Government lay a capping of ₹ 100 crore and above. That capping should be removed, in my opinion.

Sir, these are my apprehensions and I have expressed these before the hon. Minister for consideration. We need to be very careful. Under enthusiasm, in euphoria, let us not be careless in passing this Bill.

Therefore, I request the hon. Minister to look again into the wordings and the provisions of the Bill. Finally, Sir, with all honour to our Prime Minister, he professes that he is the chowkidar of this country. Sometimes the chowkidar is dozing, perhaps; therefore, all these offenders are escaping. So, I request the Government and the Prime Minister, be the chowkidar, but be an alert chowkidar of this nation. Thank you.

श्री हरिवंश (बिहार): सर, कानून के कुछ जानकारों का कहना है और हमने यहाँ भी कुछेक माननीय कानूनविदों को सुना कि जो काम इस कानून से होगा, वैसे अनेक कानून हैं, फिर इस कानून, यानी भगोड़े आर्थिक अपराधी बिल, Fugitive Economic Offenders Bill की जरूरत क्यों

है? इस देश में जरूर कई कानून हैं, जैसे- PMLA, Prevention of Money Laundering Act, SARFAESI, Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, IBC, Insolvency and Bankruptcy Code, Companies Act, 2013, बेनामी सम्पत्ति लेन-देन ऐक्ट, 1988, कंपनीज़ ऐक्ट, 2013, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860, दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी), 1973, पर साथ ही सवाल यह है कि इन कानूनों के रहते हुए आज देश में क्या स्थिति है? देश से अब तक 31 बिज़नेसमेन आर्थिक अपराधों को अंजाम देकर फरार हो चुके हैं। यह सूचना लोक सभा में 15 मार्च को विदेश राज्य मंत्री ने दी। इस सूचना के अतिरिक्त, मार्च, 2017 में हमने खुद इस राज्य सभा में शून्य काल में मुद्दा उठाया था कि ऐसे व्यक्ति, जो भगोड़े हैं, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, क्योंकि वे केवल एक व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि विजय माल्या जी भारत में इस प्रवृत्ति के विशेषण बन गए हैं। वे भारत से वर्ष 2016 में बाहर जाते हैं और वर्ष 2017 से बेंगलुरु में 20 मिलियन डॉलर्स से उनका एक पेंटहाउस बन रहा है, जिस पर हेलीपैड की भी व्यवस्था है। उसके बारे में "मिंट" में 20 मार्च, 2017 को जो खबर छपी थी, उसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। "ज़मीन से 400 फीट ऊपर, 20 मिलियन डॉलर में 40,000 स्क्वायर फीट का, 4-5 एकड़ में वह भव्य आलीशान भवन बन रहा है।" एक व्यक्ति जो देश से भगोड़ा है, एक व्यक्ति जिस पर देश का 9,000 करोड़ रुपये से अधिक का लोन है, वह 2016 में देश छोड़ता है और 2017 में वह अपना घर बनवा रहा है, क्योंकि वह निश्चित है कि इस कानून से हमारा कुछ नहीं हो सकता। मेरी दृष्टि में इसीलिए इस कानून की जरूरत थी, जो कानून अभी लाया गया है। दूसरी चीज़, चूंकि वह व्यक्ति आश्वस्त है कि जब स्टेट बैंक ने या अन्य लेंडर्स बैंक ने मना कर दिया कि हम आपको लोन नहीं दे सकते, तब दिल्ली से फोन के आदेश पर उन्हें लोन मिलता था, तो वे जानते हैं कि सत्ता कहाँ है, कानून का असर क्या है।

मैं पुनः आपको बताना चाहूंगा कि 2017 में उत्तर प्रदेश की एक व्यवसायी महिला ऋतिका अवस्थी, जो ब्रिटेन से निकाली गईं, वे सुप्रीम कोर्ट को अंडरटेकिंग देकर विदेश गई थीं कि वे लौटेंगी, पर कभी नहीं लौटीं। तब सरकारी अफसरों पर सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने टिप्पणी की। यह ख़बर 13.12.17 को "टाइम्स ऑफ इंडिया" में छपी। "What is happening if you don't even bother about the orders of the Supreme Court? If this is the way of Government officials, then we will note down in our orders that somebody ran away from the country but the Government is doing nothing about it", the Bench said. वे बेच से आदेश लेकर शायद अपने बीमार पति को देखने बाहर जाती हैं, लेकिन लौटती नहीं हैं। फिर कोर्ट अधिकारियों को फटकारता है, पर यहाँ के कानून वहाँ applicable नहीं हैं, यह कोर्ट को भी मालूम है। सरकार को यह बताना पड़ेगा कि इन परिस्थितियों में यह कानून ला रहे हैं, तो जहाँ से प्रत्यर्पण-संधि नहीं है, वहाँ से लोगों को कैसे लाएँगे? हम यह याद रखें कि इस कानून की जो कमी है, वह बताई जा रही है कि इसमें लोगों को सिविल दीवानी दावा करने या सफाई देने का प्रावधान नहीं होगा, पर हम यह भी याद रखें कि अगर संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होता है, अगर यह कानून legal scrutiny में खरा नहीं उतरता, तो इसकी जवाबदेही सरकार की है कि वह कानून को पुख्ता और संविधान-सम्मत बनाए। यह श्रेष्ठ कानून है, पर हम इसका यह हश्र नहीं देखना चाहेंगे, यह मंत्री जी को सदन को आश्वस्त करना पड़ेगा। जब 2001 में आतंकवादियों ने संसद पर हमला किया, तो उसके बाद Prevention of Terrorism Act

[श्री हरिवंश]

(POTA) बना और उसके बाद वह repeal हो गया। यह कानून कम से कम repeal न हो, यह सुनिश्चित करना पड़ेगा। जुलाई, 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में यह भी कहा था कि "Access to justice is facet of right to life guaranteed under Article 21 of the Constitution." इसलिए मेरी यह गुज़ारिश होगी कि सरकार यह आश्वस्त करे। यह कानून, जो अब तक के भगोड़े हैं, उनको तो ठीक करेगा ही, लेकिन उसके साथ-साथ यह इस देश के भविष्य के लिए भी एक सबसे बड़ा सबक है। मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि हमारा दल जनता दल युनाइटेड पहले से गलत कामों से सरकारी कोष या सरकारी पैसे अर्जित करने वालों की संपत्ति ज़ब्त करने का पक्षधर रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई शुरू से साफ रही है, इसलिए बिहार में सत्ता मिलते ही भ्रष्ट अफसरों और लोक सेवकों की संपत्ति ज़ब्त करने का कानून बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम हमने इस देश में शायद पहले बनाया है, उसी के तहत मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैसे सबसे अधिक, भविष्य के लिए कानून जरूरी था। इससे भावी भगोड़ों में भय पैदा होगा, जो संपत्ति लेकर भागना चाहते हैं। आज बैंकों का 9 लाख करोड़ के आस-पास एनपीए है। आज सुबह मैंने एक बैंकिंग एक्सपर्ट से बात की और मैं यह सूचना एक साथ सदन के माध्यम से देश के सामने रखना चाहूंगा कि हम लोग टुकड़े-टुकड़े में तो जानते हैं कि एनपीए की क्या स्थिति है, पर असल हकीकत क्या है? अविश्वास प्रस्ताव के दिन प्रधान मंत्री जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। मैं बार-बार उसको रिपीट कर रहा हूं, मैंने शून्यकाल में दो दिन पहले वह मुद्दा उठाया था कि बैंकों का किस तरह उपयोग किया गया। आज़ादी के बाद से वर्ष 2008 तक 18 लाख करोड़ लोन दिए गए थे और वर्ष 2008 से 2014 के बीच 4 वर्ष के दौरान 52 लाख करोड़ लोन हो गए। इन लोन्स में भविष्य में बहुत सारा एनपीए बनने वाला है, यह मेरा निजी अनुमान है, एक्सपर्ट्स का भी अनुमान है। आज भारत का एनपीए कहां है? अमरीका, जापान, चीन, दक्षिया कोरिया, ब्राज़ील, यूरोप सबसे अधिक है, रूस से थोड़ा कम है। सारे बैंक्स का टोटल एनपीए, जिसमें तीनों तरह के बैंक्स हैं। पीएसयू बैंक्स हैं, 2.27 Reserve Bank में रखा है और प्राइवेट बैंक्स हैं। 12 percent of loan, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के एनपीए 9 लाख, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के 1.2 लाख और 10.2 लाख करोड़ और 2 लाख करोड़ आने वाले सितम्बर या दिसम्बर तक देश को मालूम होगा कि और एनपीए हो रहे हैं, यानी 12 लाख 50 हज़ार करोड़ के एनपीए। ऑलरेडी हो चुके हैं। अब तक 4 लाख करोड़ राइट ऑफ हुआ है, यानी 17 लाख एनपीए आज की तारीख में हमारे बैंकिंग सिस्टम पर है। पी.एम. ने जो महत्वपूर्ण बात कही है, आप उसको जोड़कर देखिए। इस सारी दरियादिली की, वर्ष 2008 के बाद की, जांच होनी चाहिए किन लोगों ने कैसे लोन दिलवाए, कैसे विजय माल्या से लेकर सबको मना करने के बाद भी लोन मिलते रहे? आज स्थिति क्या है? ...**(व्यवधान)**...

सर, आप बड़े उदार हैं, आपने सबको समय दिया है, मुझे 2-3 मिनट थोड़ा और समय दीजिए, मैं अपनी बात कम्प्लीट करूंगा।

आज total PSUs banks की capital 5 लाख करोड़ रुपये हैं और एनपीए 9 लाख करोड़ रुपये हो गया है, यानी हमारे घर की कीमत 5 लाख रुपये है और उस पर लोन 9 लाख रुपये है, यह देश की हालत है, जिसे हमें समझना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि इस तरह जो कानून बन रहे हैं, उससे यह स्थिति कंट्रोल में आएगी। मैं आपको एक और फिगर देना चाहता हूं। Morgan

Stanley ने यह फिगर दी है कि 23 हज़ार डॉलर मिलना है और वर्ष 2014 के बाद ये देश छोड़कर गए हैं। मेरी आशंका है कि ये कौन लोग हैं? इनमें अधिकांश ऐसे लोग होंगे, जो बाद में भगोड़े होंगे। ये वे लोग हैं जो बड़े पैमाने पर कोयला, आयरन और जमीन वगैरह ने इन्हें धनाढ्य बनाया। Financial Times में देश के पांच वर्षों तक Bureau Chief रहे James Crabtree की बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक भारत में आयी है। मैं यही बात उल्लेख करके अपनी बात समाप्त करूंगा। The Billionaire Raj, भारत कैसे gilded age से गुज़र रहा है। अमेरिका में gilded age वर्ष 1865 से वर्ष 1900 तक रही। Gilded मतलब सोने का पानी चढ़ाया हुआ, नकली। कैसे उद्योगपति सरकारी नीतियों के बल और गलत कामों से अमेरिका में bilionaires हुए। उनका कहना है कि भारत में भी ऐसा हो रहा है। यह भारत की नयी gilded age है। वे यह भी साफ कहते हैं कि नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में इस सरकार ने बिज़नेस और पोलिटिक्स के बीच के इस नेक्सस को रीसेट, ठीक किया है। इस सरकार की आलोचना के बावजूद वे इसको acknowledge करते हैं कि नरेन्द्र मोदी ने वे रिश्ते बिज़नेस से तोड़ दिए, जो अब तक दरवाज़े खुले हुए थे। मुझे उम्मीद है कि इसी स्पिरिट के तहत यह कानून आया, इसका असर पड़ेगा और देश की ध्वस्त होती बैंकिंग प्रणाली को हम रोक पाएंगे। हमारा कानून ऐसा होना चाहिए।

सर, मैं अपनी अंतिम बात कह रहा हूं कि जब पहले अंग्रेज इस देश को लूटकर गए तो हमारे यहां Dadabhai Naoroji ने Drain theory लिखी कि कैसे देश की संपत्ति बाहर गई। Sakharam Deuskar ने देश लुटेरे कथा, ऐसा कुछ लिखा। अद्भुत ग्रन्थ है। कि भारत की संपत्ति कैसे लूटी गई? यह हमारे देश के अंग्रेज बने लोग जो billionaires बन कर देश को लूट रहे हैं और देश से बाहर जा रहे हैं, इनको लाने के लिए इतना प्रभावी कानून होना चाहिए कि जैसे आज ही कानून बनते खबर आयी कि वहां से Vijay Mallya आना चाहते हैं और एक सज्जन अमरीका से भागकर दूसरी जगह जाना चाहते हैं, हमें फोर्स कर देना चाहिए कि वे स्वतः आएं और सरेंडर के लिए इस देश में उनकी एक-एक चीज़ गिरवी हो और वे जहां से पैसे लेकर भागे हैं, भारत सरकार के माध्यम से उनको वापस करे, धन्यवाद।

SHRI ELAMARAM KAREEM (Kerala): Mr. Vice-Chairman, Sir, the Statement of Objects and Reasons of the Bill says, "There have been several instances of economic offenders fleeing the jurisdiction of Indian courts anticipating the commencement of criminal proceedings or sometimes during the pendency of such proceedings."

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KAHKASHAN PERWEEN) *in the Chair*]

The existing laws are inadequate to curb this. In most of the economic offences, we find non-payment of bank loans, thereby worsening financial health of banking sector of India. So, this Bill aims to strengthening banking sector and thereby strengthening economic sector of India.

Madam, NPA accumulation is a major threat, of course. Sir, NPA IS making offenders to fly. Today, the total NPAs is around ₹ 10 lakh crores. The amount mentioned, due to such offenders, in this Bill, is very less, considering the huge amount.

[Shri Elamaram Kareem]

We are repeatedly hearing the disturbing news of Exit India Project of mega corporate loan defaulters like Mr. Vijay Mallya, Mr. Nirav Modi, etc. They are comfortably flying over to foreign countries after looting our banks. On reaching foreign country, they challenge us and find that our banks are very much guilty. What an alarming situation is this? So, somehow, stringent measures be taken and new rules are to be framed to bring them back to India and recover the entire bank dues from them. I agree with this point.

Sir, the neoliberal policy that the Government adopting is only responsible for such economic offences. It is known that the Insolvency Law Committee is studying the feasibility of introducing cross border insolvency provisions. The Committee is looking at adoption of the United Nations Commission on International Trade Law model on dealing with cross border insolvency. The existing Code provides only to entre agreement with foreign country, which is considered insufficient and time taking.

The Insolvency and Bankruptcy Code is the latest weapon on NPA war, but we are still lagging behind in adopting its powerful teeth on high value corporate. On the other hand, Madam, large borrowers are extended mega discount on NPA amount.

Madam, I wish to give a recent example. A consortium of Reliance Industries and JM Financial Asset Reconstruction Company got debt ridden Alok Industries for just ₹ 5,000 crores. But, the dues of Alok Industries were ₹ 29,600 crores! Madam, 84 per cent of debt was written off in the name of "haircut!' This is a new step taken by banks. In such a situation, how can you prevent such offences with this Bill and bring back money which they have looted from our banks.

This is a very important Bill that we are discussing today in the 50th year of the nationalisation of Indian banks. After nationalisation, our banks have grown. Prior to nationalisation, our total deposit was around ₹ 6,000 crores. But, today, it has grown to ₹ 1.25 lakh crores. But the gates of banks are open only for corporates. The farmers, self-employed people, and small traders are prevented from entering into the banks. That is why the corporates are looting our banks and fleeing away. The Government has to take stringent measures. Merely this law will not suffice. This law will have to be strengthened. This Bill should not only deal with those who have fled the country, but those who are in the country and are wilfully defaulting on bank loans should also be brought under the ambit of this law.

With these words, I conclude. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KAHKASHAN PERWEEN): Now, Dr. Narendra jadhav.

DR. NARENDRA JADHAV (Nominated): Madam Chair. I cannot tell you how happy I am to address the Chair as "Madam Chair'.

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कहकशां परवीन): बहुत-बहुत धन्यवाद।

DR. NARENDRA JADHAV: Madam, I rise to express my support for the Fugitive Economic Offenders Bill, 2018.

I agree with the sentiments expressed in this House that this kind of a Bill should have been brought up much earlier. However, I feel that this Bill should be taken in the spirit of better late than never".

The Bill is certainly a positive step towards introducing an efficient system for dealing with cases of corruption that include massive quantities of assets, some of which may constitute a substantial proportion of the resources of the States, and of the public. The Bill establishes a system that holds powerful economic offenders accountable for their grave economic offences.

I wish to emphasize two great strengths of this Bill, in particular.

First, according to clause 12 of the Bill, as soon as a Special Court is satisfied that a person is a fugitive economic offender, it may order the confiscation of his properties to vest in the Central Government. This provision of the Bill, while differing from other existing laws, including the Criminal Procedure Code, draws legitimacy from the principle of Non Conviction Based Asset Confiscation', under the UN Convention Against Corruption, which India had ratified in 2011.

Madam, considering the nature of offences of FEOs and the gravity of economic crimes committed by them providing for the immediate confiscation of properties would certainly be a more efficient way for banks and other financial institutions to realize higher recovery from financial defaults committed by such fugitive economic offenders.

Number two, as per clause 10 of the FEO Bill, the Special Court shall issue notice to an individual alleged to be an FEO. This notice would require the person to appear within six weeks from the issuance of notice. This provision seeks to ensure that the fugitive would be forced to return to India and submit to the jurisdiction of courts in India, in order to face the law in respect of scheduled offences, specified under the Bill.

Madam Chair, while I do believe that this Bill has several positive connotations, it still seems to be lacking in certain regards. Let me mention a few reservations that I have regarding certain provisions of the Bill.

[Dr. Narendra Jadhav]

First, according to clause 14 of the Fugitive Economic Offenders Bill, on being declared a Fugitive Economic Offender, any court or tribunal may bar an FEO from filing or defending civil claims before it. Barring these persons from filing or defending civil claims may violate Article 21 of the Constitution, that is, the article relating to the right to life.

A fugitive economic offender does not cease to be a citizen of India upon being declared as an FEO. Article 21 is an inalienable Fundamental Right, guaranteed to all citizens of India. Furthermore, the principles of natural justice stipulate that each party to a case has an equal right to be heard and that every individual is innocent until proven guilty.

Clause 14, in its current form, may be said to be violating fundamental rights as well as the principles of natural justice. ...(*Time-bell rings*)... Madam, I need only one minute more.

According to clause 8 of the Bill, authorities may, based on information in their possession, having reason to believe that any person may be an FEO, may search any building and seize any records that they may deem fit. They need not obtain a search warrant or ensure the presence of witness before a search. This differs from other existing laws, including the Code of Criminal Procedure, 1973, which contains such safeguards. These safeguards are put in place to protect citizens against harassment and planting of evidence.

Finally, Madam Vice-Chairperson, we need to look into these issues and bring about appropriate modifications in the Bill so as to ensure that the Fugitive Economic Offenders Bill, while rightfully penalising absconding fugitive economic offenders, does not go ultra vires to the basic tenets of social justice enshrined in the Indian Constitution. Thank you.

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कहकशां परवीन): श्री अनिल देसाई जी के बोलने से पहले प्रो. एम.वी. राजीव गौडा जी बोलेंगे, क्योंकि इन्हें किसी जरूरी काम से बाहर जाना है।

PROF. M.V. RAJEEV GOWDA (Karnataka): Thank you, Madam Vice Chairperson.

Madam, we are very much in support of this Bill, which aims to address the challenge posed by fugitive economic offenders. In recent years, we have had very high profile economic offenders flee our shores and then, taunt us in foreign lands how they are beyond the reach of Indian law. Therefore, the intent of this law is good. But I want to give the Finance Minister a series of practical suggestions on how to improve this law, because, unfortunately, it happens to be flawed in various

dimensions. The very first point, Madam, is that this is a law that is aimed at dealing with offenders who are leaving the country. So, really, the effectiveness of such a law will be when it prevents even a single economic offender from fleeing the country from now on. But what steps is the Government taking? What moves are being made to track potential fugitives and to find ways to ensure that they are, actually, prevented from leaving? That is not at all clear. It seems to be a law that is only focussed on curative aspects, on dealing with the problems after it has occurred. A good law will also prevent the problem from happening, Madam.

Now, when you think about other kind of issues, one other problem, which the Chairman also flagged, is about extradition. We need to have much better extradition arrangements but that is really not in place. That is something that I would like the Finance Minister to tell us about. What kind of progress has been made? Madam, our Prime Minister goes to so many countries all the time. Why does he not go to those countries which are sheltering fugitive economic offenders? Why doesn't he use the might of the Indian economy to ask those countries to change their laws to allow us to recoup our fugitive economic offenders and also to prevent them from taking citizenship of other countries when those countries know that they are wanted in our country for economic crimes? That would be the best use of this kind of personal diplomacy. On the other hand, we have symbolic measures, but not really anything that is, actually, translating into outcomes.

The same problem, related to extradition, arises in the context of confiscation of property. One of the other aspects of this Bill is that when somebody is declared a fugitive economic offender, his or her property in this country and also abroad can be confiscated. Why will a foreign jurisdiction allow Indian law to apply there if one is involved in a civil case? They may be willing to do that only in the context of criminal cases. So, these are all nuances which the Finance Minister must iron out; otherwise, we will be left with a toothless law, which says a lot, or, which, actually, barks but does not bite. That is the real challenge in this particular Bill.

Then, again, Madam, many of the objections that foreign countries will have, in extraditing people back to India, would be dependent on various concerns, present Indian conditions and other kinds of issues. Our Mehul *Bhai* has just come up with an argument that lynching in India is going to prevent him from coming back. That is the danger. So, it will be good for the Government to tackle or anticipate and tackle many of these objections that will be proffered by fugitive economic offenders and by Governments abroad who will not necessarily and easily release people back to India, given some of the concerns about our own justice system. So, the Government should really put in a lot of effort to fix these problems in anticipation.

[Prof. M.V. Rajeev Gowda]

Madam, there are other major flaws. Our Finance Minister would know very well that it is not just an individual. We like to say, we like to take the name of our old colleague, Vijay Mallya; we will like to talk about Nirav Modi, Mehul Choksi, Jatin Mehta. These have been the prominent names in recent times and some of them, of course, have been photographed or partying with the leadership of the Ruling Party. But the basic point is this. These offences do not occur in a vacuum. They occur in association with ....*(Time-bell rings)*... मैडम, बहुत समय है।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कहकशां परवीन): आपकी पार्टी के एक और सदस्य बोलेंगे।

प्रो. एम. वी. राजीव गौडा: जी, हां। अभी देखिए आठ मिनट हैं। मैं दो मिनट और लूंगा।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कहकशां परवीन): अभी आपकी पार्टी से एक और सदस्य बोलेंगे।

प्रो. एम. वी. राजीव गौडा: मैडम, उनके लिए बहुत समय बचा हुआ है।

So, the basic point is, a lot of officials, Government officials, bankers are also conniving with these offenders to make these crimes possible. What action is being taken against that nexus? I don't see anything in here against those people out there, on their *benamis*. The issue is, there is also a web of holding companies, hidden assets, lots of other things that will be used by these offenders before they leave. What is here that will tackle any of that? Nothing is here. We need to fix that.

Then, multiple people have already flagged the issue of constitutional violations. Madam, it is entirely possible for a person to have his assets confiscated without actually being tried and convicted. This would be unconstitutional and, again, on that very basis, this law would be thrown out. Then we will have gone through this entire exercise for nothing. Nothing will be the result of the whole exercise.

There was an Orissa Special Courts Act which actually allowed for confiscation but only after conviction. So, that has also got to be ironed out as we go forward.

The other complication is that both the offender and the companies that he or she is involved with are barred from filing civil cases or taking part in any civil suits. Anyone could be part of a company, a Director of a Company, one of them, is a fugitive economic offender, they are barred from taking part in any civil action in any court and that is really, really unconstitutional and needs to be addressed.

So, basically, Madam, when you think about this particular law, it has more flaws. The intention is good but it is riddled with flaws which make it ineffective. Therefore, I really doubt the intention of the Government. Are they just trying to create a smokescreen saying that they are doing something? This is what they did

on multiple fronts when they talk about black money. It is not going to change anything. We need a more effective law and I really worry about the sincerity of the Government and therefore I will issue a challenge to Mr. Piyush Goyal, our Finance Minister. Let us see, if you bring back even one fugitive economic offender before 2019. If you do not, hang your head in shame and tell us that you have failed in addressing the issue of black money and of economic crimes committed by your friends and your cronies. Thank you, Madam.

SHRI ANIL DESAI (Maharashtra): Madam, I rise in support of this Fugitive Economic Offenders Bill, 2018 which provides for measures to deter fugitive economic offenders from evading the process of law in India by staying outside the jurisdiction of Indian courts.

This Bill seeks to confiscate properties of economic offenders involved in offences which are having hundred crores or more value. I think this may be a point of debate but other legislations to this effect are very much there. I think, the finance Minister will enlighten us how this particular figure of ₹ 100 crores is being provided for in this legislation to be effective.

Madam, there have been several instances of economic offenders fleeing the jurisdiction of Indian courts. Anticipating the commencement or during the pendency of the cases, they flee the country and take shelter outside the country. Though we have extradition treaties with different countries, as of today, nothing major has happened where the culprits or the accused have been brought back to India, the process of law has begun, they have been named, their properties realized and the pending loans recovered by banks. A non-convictable asset confiscation in corruption-related cases has been enabled under the provisions of the United Nations Convention Against Corruption that has been ratified by India too in 2011. I think The Fugitive Economic Offenders Bill, 2018 is adopting the provisions of the same.

Madam, today, the banks and financial institutions are passing through a very precarious phase. As has been mentioned by many Members, it is for the first time that things have come to such a pass; the banking sector is in a very bad shape and recovering money out of offenders like Vijay Mallya and Nirav Modi has become a big question mark. Shri Harivanshji mentioned how the situation has been worsening. The NPAS amounted to ₹ 8,00,000 crore earlier. It went up to ₹ 10,00,000 crore and now it is going up further. It is apprehended that the amount of NPAS would touch figures that we can't even imagine. If that happens, it would be a great setback to the Indian economy. The Finance Minister has been answering various questions in this regard. Even yesterday he shed light on how money is being deposited in the Swiss banks, what the current situation is and what it was earlier.

[Shri Anil Desai]

Madam, I hope the expeditious steps that are being taken by the Government would really lessen the anxieties of the people of India at large and would restore the faith of the common man in the banking sector. The banking sector has been suffering huge losses due to the loans taken by these economic offenders and wilful defaulters. It has been decorated with the help of some other agencies and people too. Political influence is one thing, but we should really be serious about it. Chartered Accountants or Accountants who shape up their accounts, who window-dress their accounts, and help the misdeeds of these economic offenders should also be checked. Hitherto Chartered Accountants were under the Institute of Chartered Accountants. Now, it is being replaced by the NFRA, that is, National Financial Reporting Agency. I think the NFRA plays a very vital role here and the Government of India would be giving the required assistance and power that is necessary to see to it that these misdeeds are arrested in the beginning and the rot stemmed right in the beginning. Otherwise, this kind of a situation that exists in the banking sector and financial institutions would never take India forward on a path as envisaged by the Government of India, or the Prime Minister, with all his dream projects that are to come up by 2020. I think the measures which are being contemplated by the Government of India would be elaborated upon by the Finance Minister in his reply. The part of the Bill concerning other aspects like powers given to the Director or Deputy Secretary needs to be checked.

Another point which is of importance is that when a person or entity is declared to be tried under the FEO law and he seeks recourse to the courts, that is being denied. That is against the provisions enshrined in the Constitution of India, right to life. That needs to be checked.

I hope the Finance Minister would be answering all these questions and queries that have occurred in the minds of the Members. This foolproof legislation would work as a deterrent to people who have ulterior motives to get their jobs done and would really check the misdeeds of the economic offenders.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY (Andhra Pradesh): Madam, Vice Chairperson, this Bill has got various positive issues which needn't be highlighted. However, I will highlight the concerns so that the hon. Finance Minister can address those concerns and I will also make some suggestions. I would like to draw the kind attention of the hon. Finance Minister to the fact that this Bill disentitles the companies in which the offender holds majority stake or holds key managerial post. The effect of this is, as the hon. Minister is aware, that the person is considered to be holding a substantial

interest in the other company if, at all, he holds 20 per cent of shareholding in that company. It means a person who holds majority stake. There could be two scenarios. One, a person who holds 51 per cent is an absolute majority stakeholder and, two, a person who holds even 27 per cent and all other shareholders will not hold more than 26 per cent, not together, even individually, then also he will be holding a majority stake or sizeable stake in the company. The effect of this particular provision is this. Suppose an offender holds majority stake or a key managerial position in the company. When the Bill disentitles the company, then, the other shareholders will not have any rights and they lose the rights because ultimately it is the shareholders who are the owners of the company. When all other shareholders are disentitled and lose their rights, the effect of it is that the minority shareholders will not have any right, even the minority holding right. I hope the hon. Finance Minister has understood this and this has to be addressed. Such a prohibition might affect the interest of other stakeholders and can disrupt the normal functioning of the entity. That is the effect of this.

In case of high economic value offences, there are often large defaults at multiple places. There could be some cases in Kolkata, there could be some cases in Chennai and there could be some cases in Hyderabad. This multiplicity of proceedings may lead to conflicting orders by different Courts. So, the hon. Finance Minister has to ensure that all the proceedings wherever they are in different places have to come together and to be tried at one place. Hon. Finance Minister, while introducing the Bill, has stated that the Bill, when enacted, will be applicable only for the offences whose value is more than ₹ 100 crore. What will happen? Suppose, in Hyderabad, there is a case pending whose crime proceeds are to the extent, say, ₹ 99 crore and in Chennai there is another case whose crime proceeds are valued at, say, ₹ 98 crore and in Kolkata there is another case, involving the same offender, whose crime proceeds are, say, ₹ 90 crore. Putting together, it comes to ₹ 290 crore approximately. This Bill is not applicable to those offenders where the single transaction of crime proceeds is less than ₹ 100 crore.

The assets confiscated by enforcement agencies and Courts are termed as distressed properties. The moment you call them 'distressed properties', such properties rarely find buyers and might fail to cover the total cost of losses. For example, Sahara Amby Valley and the corporate office of the defunct Kingfisher Airlines failed to garner the bids for this reason only despite multiple auctions. I suggest that a mechanism should be found out to derive a good value of all the confiscated assets and to ensure that the losses of the creditors are minimised. The economic offender may have assets spread over across the world, through web of holding companies

[Shri V. Vijayasai Reddy]

registered in various tax heavens. I suggest that the Government needs to have stringent provisions to be able to lift the corporate veil. To lift the corporate veil, I am emphasising, Madam. The hon. Finance Minister understands what I mean by 'lifting of corporate veil' in such circumstances. And, finally, the last point is – this is final and important, Madam – once a person has been declared as a fugitive economic offender (FEO), any court in India can deprive the person from filing or defending a civil suit. That is what the hon. Finance Minister has stated. According to me, there are certain fundamental rights which cannot be taken away from any person. That is, those are the Fundamental Rights which are given to an individual Indian citizen by virtue of the Constitutional provision. ...(*Time bell rings*)... I am just finishing, Madam.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KAHKASHAN PERWEEN): Please Conclude.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: A person will be considered as innocent until he is proved guilty. So, a person, until he is proved guilty, will be considered as an innocent. When the person is innocent, still the trial is going on. When the trial is going on and if the person is deprived of filing civil suit, it will be contravening fundamental rights enshrined under Article 14 of the Constitution. Thank you very much.

महंत शम्भुप्रसादजी तुंदिया (गुजरात): उपसभाध्यक्ष महोदया, देश में बढ़ते हुए bank fraud के मामलों में, bank के करोड़ों रुपए लेकर विदेश में भाग जाने वाली घटनाओं को रोकने के लिए, माननीय नरेन्द्र भाई मोदी जी की सरकार जो "भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक, 2018' लेकर आई है, उसके लिए मैं हृदय से इनका अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं इनका अभिनन्दन इसलिए भी करना चाहूंगा, क्योंकि किसी भी विषय के अनेक पहलू हो सकते हैं। इस बिल के ऊपर बोलते हुए, इस सदन के सभी माननीय सदस्यों ने कानूनी अभिगम से, इसके सभी पहलुओं या आधार पर बातें कहीं, साथ ही आदरणीय नीरज जी जैसे लोगों ने राजनैतिक पहलू से भी इस बिल के ऊपर बहुत सारी टिप्पणियाँ कीं।

महोदया, सांसद होते हुए भी आज मैं गुजरात के एक छोटे से गाँव में रहता हूँ, जो बहुत दूर-दराज़ के इलाके में है। मेरे सामने परसों ही एक बात आई थी कि एक किसान को हम देश का अन्नदाता कहते हैं। इस बिल पर बोलने से पहले अलग से मैं एक बात कहना चाहता हूं। जो लोग बैंकों के साथ बड़े आर्थिक घोटाले करके भाग चुके हैं, हम उनके संदर्भ में चिन्तित हैं और इस सदन में सरकार ने यह बिल लाने का अच्छा काम किया है। इस देश के जितने भी दलित, पीड़ित, शोषित, वनवासी और गरीब तबके के लोग हैं, उनके कल्याण के लिए काम करने की मंशा के साथ सरकार ने यह बिल लाने का प्रावधान किया है। मैं किसानों के संदर्भ में एक बात यहाँ रखना चाहूँगा, क्योंकि वे अपना काम करने के लिए छोटी-छोटी किस्तों में लोन

लेते हैं। उनके साथ कई बार ऐसा होता है कि उस लोन को न भर पाने की वजह से किसान के equipment, उपकरण, ट्रैक्टर इत्यादि ज़ब्त कर लिए जाते हैं। एक छोटी-सी रकम के लिए उनको बहुत ज्यादा परेशानी उठानी पड़ती है, हम इसकी चिंता नहीं करते हैं, लेकिन आज इस देश के बैंकों के साथ करोड़ों-अरबों का घोटाला करके जो लोग जा चुके हैं, उनके लिए हम यह प्रावधान लाए हैं। मैं इस विषय को लेकर किसानों के संदर्भ में दो-चार पंक्तियां बोलना चाहता हूँ।

"पैर हैं जिसके, मिट्टी में, दोनों हाथ कुदाल पर रहते हैं,
सरदी-गरमी या फिर बारिश, सब कुछ ही वे सहते हैं।
आसमान पर नज़र हमेशा, वे आंधी-तूफान सब सहते हैं,
खेतों में हरियाली आये, दिन और रात लगे रहते हैं।
मेहनत कर वे अन्न उगाते, पेट सभी का भरते हैं,
वह है मसीहा मेहनत का, उसको 'किसान' हम कहते हैं।"

महोदया, मगर यहाँ तो कोई परेशान है सास-बहू के रिश्तों में और किसान परेशान है किश्तों के रिश्तों में। मैं इस सदन के माध्यम से इस बिल के संदर्भ में कहना चाहूँगा। इसके कानूनी पहलू के बारे में मैं कुछ इस तरह से कहना चाहूंगा कि इस बिल की जो विशेषता है, वह यह है कि इस बिल को लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? हाल ही में कानून के अन्तर्गत जो प्रावधान हैं, उनमें Prevention of Money Laundering Act, 2002 है, बेनामी सम्पत्ति के लेन-देन सम्बन्धी 1988 का एक्ट है, कम्पनीज़ एक्ट 2013 का है। इसके अलावा, भारतीय दंड संहिता में भी आर्थिक अपराध, जालसाज़ी और धोखाधड़ी के कई तरह के और अलग-अलग प्रकार के कानून होते हुए भी, कई लोग ऐसे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमारे आदरणीय नीरज जी कह रहे थे। मैं इस सदन के माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि मैं जब 2014 में यहाँ आया, तो माल्या जी यहीं पर बैठते थे। इस बीच की बड़ी विवशता है। अगर फोटो की बात करना चाहते हैं, तो मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कौन इस सदन में ऐसा है, जिसकी फोटो माल्या जी के साथ में नहीं है?

कई माननीय सदस्य: हमारी नहीं है। ...**(व्यवधान)**...

महंत शम्भुप्रसादजी तुंदिया: सभी के साथ नहीं ...**(व्यवधान)**... 2014 के बाद में जो आये हैं, उनकी नहीं होगी। ...**(व्यवधान)**... 2014 के बाद में जो आये हैं, उनकी नहीं होगी। मैं यही कहना चाहता हूँ। ...**(व्यवधान)**... 2014 के बाद में जो आये हैं, उनकी नहीं होगी। 2014 के पहले जो आये हैं, उन सभी की हैं। ...**(व्यवधान)**... मैं राजनैतिक दृष्टि से यह कहना चाहता हूँ कि..

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कहकशां परवीन): महंत जी, आप इधर देख कर बात करें। आप उधर नहीं देखें।

श्री आनन्द शर्मा: एक मिनट। आप अपनी बात रखें। मैं बड़े आदर से कहता हूँ कि आप अपनी बात रखें। हम आपको बड़े सम्मान के साथ, शान्ति के साथ सुन रहे हैं। परन्तु ऐसा कहना.. विषय कोई दूसरा है, जो यह बिल लाये हैं। जहाँ तक आपने सीट का भी इशारा किया, वह भी गलत है। हम भी इसी सदन में रहे हैं और किस दल के समर्थन से वे निर्दलीय चुन कर आये, उनका चुनाव कराने वाले कौन लोग थे, मैं उस विवाद में नहीं जाना चाहता। ...**(व्यवधान)**...

महंत शम्भुप्रसादजी तुंदिया: सर, इस तरफ से बेतुकी बात नहीं हुई। ...**(व्यवधान)**... इस तरफ से फोटो की बात नहीं आई थी। ...**(व्यवधान)**...

श्री आनन्द शर्मा: अगर आप ऐसा कहेंगे ...**(व्यवधान)**...

महंत शम्भुप्रसादजी तुंदिया: फोटो खिंचवाने की बात वहाँ से आयी थी।

श्री आनन्द शर्मा: अगर आप ऐसा कहेंगे कि यहाँ के सारे लोग ...**(व्यवधान)**...

महंत शम्भुप्रसादजी तुंदिया: अगर फोटो की बात के आधार पर ही ...**(व्यवधान)**...

श्री चुनीभाई कानजीभाई गोहेल: महोदया ...**(व्यवधान)**...

श्री आनन्द शर्मा: बैठ जाइए, बैठ जाइए। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कहकशां परवीन): महंत जी, कृपया शान्ति बनाएँ। ...**(व्यवधान)**... कृपया शान्ति बनाएँ। ...**(व्यवधान)**...

श्री आनन्द शर्मा: ऐसा नहीं कहते। आप जो ऐसा आरोप सब पर लगा रहे हैं..

महंत शम्भुप्रसादजी तुंदिया: आरोप नहीं है। ...**(व्यवधान)**...

श्री आनन्द शर्मा: यह कहना उचित नहीं है कि 2014 से पहले वाले जितने सदस्य हैं, उनके साथ उनका रिश्ता था। कृपा करके इन शब्दों को वापस ले लें, मैं आपसे यही आग्रह करता हूँ। ...**(व्यवधान)**...

महंत शम्भुप्रसादजी तुंदिया: जी, सर। ...**(व्यवधान)**...

आदरणीय आनन्द जी की बातों का मैं सम्मान करता हूँ। मगर इस बिल में इतने प्रावधान अभी मौजूद हैं, फिर भी ये लोग इस देश से भाग चुके हैं। ...**(व्यवधान)**... जो लोग भाग चुके हैं, उनके संदर्भ में हमारे आदरणीय वित्त मंत्री जी ने 2017 में ...**(व्यवधान)**...

श्री सैयद नासिर हुसैन (कर्नाटक): बीजेपी के सहयोग से ...**(व्यवधान)**...

महंत शम्भुप्रसादजी तुंदिया: अगर आप ऐसा बोलेंगे, तो मेरे पास ...**(व्यवधान)**... सुनिए, सुनिए। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कहकशां परवीन): महंत जी, प्लीज़। ...**(व्यवधान)**... कृपया आप लोग इस तरह से आपस में बात नहीं करें ...**(व्यवधान)**... बल्कि जिनको भी अपनी बात कहनी है, आप चेयर को कहें। ...**(व्यवधान)**...

श्री सैयद नासिर हुसैन: आप होमवर्क करके आइए। ...**(व्यवधान)**...

महंत शम्भुप्रसादजी तुंदिया: क्वात्रोची को किसने भगाया था? ...**(व्यवधान)**... क्वात्रोची को किसने भगाया था? ...**(व्यवधान)**... क्वात्रोची को किसने भगाया था? ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कहकशां परवीन): महंत जी, आप बोलिए।

महंत शम्भुप्रसादजी तुंदियाः आदरणीया उपसभाध्यक्ष महोदया, 2017 में आर्थिक अपराधियों के मामलों के संदर्भ में एक ड्राफ्ट बिल भी जारी किया गया था, जो कार्रवाई से बचने के लिए देश छोड़ कर भाग जाते थे। सिविल और क्रिमिनल कानूनों से ऐसे अपराधियों के निपटारे के लिए कोई कानून नहीं था। इसी के कारण लम्बित कार्रवाई में अलग-अलग कानूनों के कारण कई तरह की रुकावटें भी आती थीं। इससे बैंकों की वित्तीय सेवा के ऊपर प्रभाव भी बहुत ही गहरा पड़ता था। इन सबसे निपटारे के लिए यह कानून एक ही ऐसा आर्थिक अपराध कानून है, जिसके दायरे में आने से, जिसको लागू करने से, ऐसे आर्थिक अपराधी, जो देश छोड़ कर चले गये हैं, उनकी जो सम्पत्तियाँ हैं, उनके बारे में इसमें कई तरह के प्रावधान किये गये हैं। इस प्रावधान में उसकी सम्पत्ति को, बेनामी हो या उसके नाम की हो, उसकी कुर्की और नीलामी करने का भी प्रावधान किया गया है। 100 करोड़ रुपए से अधिक के अपराध करने वाले के लिए इसमें एक सीमा तय की गई है। ...**(समय की घंटी)**... उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ समय और दीजिए, जिससे मैं अपने सारे पाइंट्स रख सकूं। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कहकशां परवीन)ः आपकी पार्टी के दो सदस्य अभी और बोलने वाले हैं, इसलिए समाप्त कीजिए। ...**(व्यवधान)**...

महंत शम्भुप्रसादजी तुंदियाः सिर्फ एक बात और कहकर मैं समाप्त करूंगा। ...**(व्यवधान)**...

श्री विजय गोयलः माननीय सदस्य को आप कुछ समय और दे दीजिए। हम अपनी तरफ से एक सदस्य को withdraw कर लेंगे। ...**(व्यवधान)**...

महंत शम्भुप्रसादजी तुंदियाः इस बिल में एक महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है, जिससे आर्थिक अपराधी को सिविल दावा करने या उससे बचाव करने का कोई हक नहीं रहेगा, जिसे मैं अच्छा प्रावधान मानता हूं। इस बिल के उद्देश्यों में कहा गया है कि जो व्यक्ति किसी आर्थिक अपराध के लिए दंडनीय है, उसके विरुद्ध कार्यवाही शुरू होने या कार्यवाही लम्बित रहने के दौरान, यदि वह भारत की अदालतों के अधिकार-क्षेत्र से पलायन कर जाता है, ऐसे अपराधियों को अनुपस्थित रहने से हानिकारक परिणाम सामने आते हैं, जांच-पड़ताल में अनेक तरह की बाधाएं उत्पन्न होती हैं और भारत का विधि शासन कमज़ोर दिखाई पड़ता है, न्यायालयों का समय भी बरबाद होता है, इन सभी कारणों को देखते हुए, अभी एक माननीय सदस्य ने जो बात रखी कि मौजूदा कानून से भारतीय संविधान की धाराओं का उल्लंघन होता है। ...**(व्यवधान)**... मैं इस सदन में बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि इस देश के संविधान निर्माता, डा. बाबासाहेब अम्बेडकर ने जब मौलिक अधिकारों की बात की थी, वह भारत के नागरिकों के संबंध में थी, भारत के सभी नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की थी। मैं यहां किसी दूसरे देश का उदाहरण या दृष्टांत देना नहीं चाहता, क्योंकि उससे इस माननीय सदन की गरिमा भंग होने की संभावना है, मगर संविधान के अनुच्छेद 21 के भंग होने की जो चिन्ता माननीय सदस्यों ने यहां जताई है, मैं स्पष्ट रूप से मानता हूं कि जो देश का धन लेकर यहां से चला गया है, देश के साथ धोखाधड़ी करके, देश छोड़कर भाग गया है, इस देश में अनेक छोटे उद्यमी रहते हैं, छोटे-छोटे कारीगर रहते हैं, कई तरह के काम करने वाले लोग रहते हैं, उन सभी के साथ धोखाधड़ी करके, देश के साथ गद्दारी करके यदि कोई भाग जाता है, ऐसे अपराधियों को इसी तरह के कानून बनाकर छोड़ना नहीं चाहिए। उसके लिए कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान होना

[महंत शम्भुप्रसादजी तुंदिया]

जरूरी है। इसलिए संविधान के अनुच्छेद 21 की मौलिकता की जो बात यहां उठाई गई, समानता के अधिकार के आधार पर जो चिन्ता जताई गई, मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि जो व्यक्ति देश के साथ धोखाधड़ी करता है, चाहे भारत की दंड संहिता हो या भारत के संविधान की किसी व्यवस्था का सवाल हो, हमारा संविधान भारत के नागरिकों के लिए है, लेकिन आर्थिक अपराधियों के साथ सख्ती के साथ पेश आने के लिए, उनकी सम्पत्ति का राष्ट्रहित में उपयोग करने के लिए, माननीय प्रधान मंत्री, नरेन्द्र भाई मोदी जी की सरकार जो बिल इस सदन में लाई है, मैं उसका समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

SHRI BINOY VISWAM (Kerala): Madam, this is my maiden speech. I may request you to allow me fifteen minutes. Madam, there is a saying in Malayalam: Aettile pagu pullu thinnilla (A textual cow does not eat grass*)

The meaning in English may equally be that a barking dog seldom bites. I would like to say that same is the case with this Bill. The Government pretends that this Bill is going to do away with the fugitive economic offenders. They claim that they are going to bring back all the Vijay Mallyas and such kind of people back to the country. But Madam, the question is that it is the same Government that has allowed Vijay Mallya to go away. It is the same Government which supported Nirav Modi to go away from this Country. The Government, which has supported more than 30 fugitive offenders to leave the country as they like, is now coming up as a great saviour of the country and its economy. How can the people believe this? Seeing the 2019 election, which are coming ahead, the Government is trying to play gimmick on the people. So, in this form, this Bill cannot be supported as a whole and this cannot be swallowed without a glass of water. The Bill is having high-sounding waves but waves only. The country is eager to know as to what the Government is going to do. Without action, this Bill will be a futile exercise.

In the beginning of the discussion, hon. Chairman very rightly mentioned here that the people of the country are watching as to what will happen to the Bill and its future implication. This is very important. The people are there and they are seeing this also, and, when people's scrutiny is there, this Government and the mover of the Bill will be answerable to the people.

Madam, before I go to the political part of it, let me raise certain issues on some of the clauses. As far as Clause 20 is concerned, there is a serious lapse on the part of the Government. It empowers the Government to add or omit, by notification, any offence in the First Schedule. Why should it omit? The Government may act with

---

* Translation of the original speech delivered in Malayalam.

the same emphasis and say that it can also omit offences from the First Schedule, if they want to save somebody by omitting his name. So, we emphatically say that no question of omission should be allowed in this Schedule.

My second point is relating to Clause 14. There is a real possibility that it may be failing in the judicial scrutiny. I believe that this is not accidental. The Government has purposefully allowed the Clause 14 to be so because it wants this Bill to be struck off by the judiciary. I am saying this because in the light of Article 21, there is a possibility that this Clause will not stand in the court of law. The Government has to take note of it.

Sir, my next point is that there is an upper limit of ₹ 100 crores. I want to ask as to what is the sanctity of this ₹ 100 crores. Why can't it be ninety crores of rupees, five crores of rupees or even one crore of rupees? In certain Acts in the country, there is a limit of one crore of rupees. So, in a country where the people earn less than twenty rupees per day, one crore of rupees is a big amount. So, if the Government is saying that this Act will be applicable only to those who have plundered more than a hundred crore of rupees, it shows that the Government is trying to support them in different ways.

Madam, I do not want to repeat the great noble ideas which this Government has tried to share with us. We support all those words and the sentiments behind that but the political sincerity is to be questioned. Madam, this Bill seeks to confiscate properties of economic offenders involved in the offences having a value of hundred crores of rupees. The economic offenders, that is, fugitives, are the political cousins and economic partners of the Government in power. They are in the world now and we are talking about here. Today, Vijay Mallya is somewhere in the world, Nirav Modi is somewhere in the world, his uncle Mehul Choksi is somewhere in the world, and, Madam, they must be laughing today while seeing this drama that the Government is trying to play on the people. Sir, this is an Act meant to support them by * the people. Hence, this Bill may be construed by the people even as a futile exercise just to hoodwink the people. The Bill and the Government are quite clear about the deleterious consequences of the fleeing away of the criminals from the country. Madam, they are not ordinary criminals. They are the criminals to be called as five-star criminals. No, Madam, they should be called as seven-star criminals, and the Government is having a relationship with them because they are WIPs for the Government, with whom many of the Ministers have very close friendship. They have photographs with them. So, the Government is not anxious

* Expunged as ordered by the Chair.

[Shri Binoy Viswam]

to prevent them from committing misdoings, but they want to support them in a different way. Madam, the consequences contributed by the clan of fugitive economic offenders, as mentioned in the Bill, are: one, it hampers investigation in criminal cases; two, it wastes precious time of courts of law; three, it undermines the rule of law in India, and four, it worsens the financial health of banking industry in India. Altogether, it will weaken *Hamara Bharat Mahan*. This is a known fact for everybody. The Government knows it; we know it. But still, the Government is trying to * the people of the *Bharat Mahan*. Madam, the movers of the Bill claim that it is effective, expeditious and deterrent to curb the vicious menace. But the Government is coming up with a very effective net when most of the vultures have flown away from the country. They are somewhere else and we are making a net here for them. They will not care for this net, Madam.

The U.N. Convention against these economic offences had also been ratified by the Government of India in 2011 itself, but we waited for so many years. We waited for what? We waited for whom? We waited for those offenders to commit more and more offences, to become more and more culprits of the nation. And now you are coming to us saying that we will prevent them, we will bring back them to the books. But we are not going to do anything. When we look into the past, it is known that the Government is not going to take any active steps to prevent them.

In the new-liberal era of capitalist globalisation, corruption is always on the increase. Madam, it is a very important point. Globalisation, for which the Government always pleads – many people plead for globalisation – is a measure that supports all kinds of offences by the big capitalists all over the world. Because in globalisation God is money, profit is God. So, for the God, which is called as money and profit, everything can be done. When a Government, which always glorifies globalisation, say that they will prevent those people in such a way, this is not going to have even a small effect on them because it is a helpless, toothless and nailless instrument in their hands to prevent this big menace. The fact is that many of the economic offences are simply the by-products of capitalist globalisation. So, keeping mum for globalisation, always pressing for globalisation and saying that we will do away with the by-products, is nothing but cheating the people. So, we, from the Left, are very clear that by supporting globalisation and keeping arguments for globalisation, this Government cannot prevent these kinds of offences. Madam, the Government, which praise market fundamentalism in the name of development, have nurtured the growth of economic offences. Madam, my friends, sitting on the other side may

* Expunged as ordered by the Chair.

be offended. Still, I am constrained to say that in the present context the truth is that the Government have a hand-in-glove relation with all the fugitive economic offenders inside the country and outside the country. That is a fact, which cannot be prevented by the high sounding words. Otherwise, how could a Vijay Mallya happen? How could a Nirav Modi happen? How could a Mehul Choksi happen? How could this kind of thirty or forty or fifty offenders of seven-star stature happen? Because the Government supports them. The Government has ties with them. And now the Government is coming to us saying that it will bring them back. The Government cannot bring them back. Hon. Prime Minister Narendra Modiji himself drew the attention of the nation to the mammoth size of black money. He said that if the black money is brought back to the country, not 15,000 rupees but 15,00,000 rupees will come into the accounts of the Indian citizens. That shows how huge the amount of black money is. This Government for the last four years has been keeping mum on that issue to stifle the issue. And one fine day the Government comes out and says that it will bring back all the black money which is hoarded there. It cannot do that. I repeat it. This is absolutely meant for election purposes. For 2019 elections, the Government is trying to hoodwink the people. That is why we feel that this cannot be supported like anything. This can't be. There is a big 'but' here and there is an 'if' here. When 'ifs' and 'buts' are properly answered, then we can believe in their sincerity behind the Bill. This Bill can't be treated as a sincere attempt and can't be regarded as a sincere move. That is why we would like to raise those 'ifs' and 'buts' which are the most important things for the people of India.

Madam, the Government and the offenders of the economy, who are criminals, are the birds of the same feather. They were flying together. They are flying together. And they will be flying together. In the elections, before elections, and after elections, they all will fly together. But they will tell the people that they are different. They are not different, Madam. The slogan "सबका साथ, सबका विकास" is nothing but to * the people. They are not with the people. They are with Vijay Mallya.

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कहकशां परवीन): विस्वम जी, कन्क्लूड कीजिए।

SHRI BINOY VISWAM: One minute, Madam. They are with Vijay Mallya. They are with Nirav Modi. They are with big, big offenders. They are not with the people of the country. That is why we, the people of India, would like to tell them that don't forget the basic features of the Constitution which are equality and justice. All these values have been forgotten. The Government is trying to undermine even the Constitution itself. The Government is trying to play their game – political and

* Expunged as ordered by the Chair.

[Shri Binoy Viswam]

ideological game – with the Constitution, with the people and with the future of the nation. Keeping in mind the future of India, the people of India and the Constitution of India, we would say that this Bill also is an attempt to * the Indian people. We would say that we can only support it with a 'but' and an 'if'. Thank you, Madam.

श्री पी. एल. पुनिया (उत्तर प्रदेश): मैडम, भगोड़ा आर्थिक अपराध बिल, Fugitive Economic Offenders Bill, 2018 आज विचाराधीन है। इसे लोक सभा में 12 मार्च, 2018 को पेश किया गया, अध्यादेश 21.4.2018 को जारी किया गया। यह बिल अत्यंत महत्वपूर्ण है और हम इसका समर्थन करते हैं। जिस प्रकार बैंक के बकायेदार पैसा अदा न करके विदेशों में पलायन कर जाते हैं और जब न्यायालयों में मुकदमे चलते हैं, नोटिस जारी होता है, वारंट जारी होता है, तो उसकी परवाह किए बिना वे वहीं पर बने रहते हैं, इस समस्या का समाधान करने के लिए कोई न कोई कानून की आवश्यकता थी और यह कानून आज यहाँ पर आया है।

जैसा कि उल्लेख किया गया, विदेश मंत्रालय की सूचना के अनुसार ऐसे 30 अपराधी हैं, जिनके विरुद्ध सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जाँच चल रही है। वे विदेशों में पलायन कर गए हैं और वे यहाँ वापस नहीं आ रहे हैं। इस बिल के माध्यम से ठीक कदम उठाया गया है, लेकिन बहुत विलम्ब से यह कदम उठाया गया है। विजय माल्या दो साल पहले देश छोड़कर भागे थे, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, जतिन मेहता विदेश चले गए। सरकार अगर जागी है, तो बहुत देर से जागी है ...**(व्यवधान)**... 12 मार्च, 2018 को जब लोक सभा में यह बिल पेश किया गया, सरकार को इतनी जल्दी थी, तो बजट सत्र के दौरान भी इसको पास करवाने की कार्रवाई की जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो नारा देने वाले हैं- 'न खाऊंगा, न खाने दूंगा', मैं समझता हूं कि मौके पर कुछ नज़र नहीं आता। लोगों ने खूब लूटा है, खूब लेकर भाग गए हैं और देश के चौकीदार को जो। जिम्मेवारी दी गई, वह जिम्मेवारी पूरी हुई या नहीं हुई, देश उसकी समीक्षा कर रहा है। चौकीदार के सामने से लोग भाग जाएं, लूटकर भाग जाएं तो यह बहुत चिंता की बात है। यह बिल ऐसे लोगों के ऊपर लागू होता है जो शेड्यूल्ड ऑफेंसेज़, जिसमें 55 ऑफेंसेज़ का उल्लेख किया गया है, उसमें अपराधी हैं और उनके खिलाफ वारंट जारी है। उनको आर्थिक अपराधी घोषित करने के लिए बिल के माध्यम से व्यवस्था है, लेकिन इसमें कुछ शर्तें हैं कि जो 55 ऑफेसेज़ हैं, उनमें न्यायालय के द्वारा कोई वारंट ऑफ अरेस्ट जारी किया गया हो, जो देश को छोड़कर चले गए हों और वापस आने से इन्कार कर रहे हों, तो ऐसे व्यक्तियों को economic fugitive, economic offenders घोषित करने की व्यवस्था है और वह स्पेशल कोर्ट के माध्यम से है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्डरिंग एक्ट में जो प्रावधान है, उसके अंतर्गत बनी हुई स्पेशल कोर्स के माध्यम से कार्यवाही कराने का यह प्रावधान रखा है। जब पूरी व्याख्या, व्यवस्था व पूरा प्रोसीजर दिया है, अगर स्पेशल कोर्ट के नोटिस देने के बाद 4 हफ्ते के अंदर वह व्यक्ति वापस आ जाता है तो वह कार्यवाही वहीं की वहीं समाप्त हो जाएगी। अगर वह नहीं आता है तो उनको fugitive economic offender घोषित करने की कार्यवाही प्रारंभ होती है। fugitive economic offender घोषित होने के बाद 180 दिन के अंदर उसकी प्रॉपर्टी को कॉन्फिसकेट किया जा सकता है और बाद में उसको सेल किया जा सकता है, यह प्रावधान इस बिल में है।

बिल में बहुत सी बातें हैं ...**(व्यवधान)**... जिसका उल्लेख हमारे विद्वान साथियों ने किया है। मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं, मैं दो-तीन बिंदुओं पर विशेष रूप से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। स्पेशल कोर्स का उल्लेख किया गया है कि जितने ऐसे मामले हैं, जो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी है, वह स्पेशल कोर्ट में दरख्वास्त लगाएगी कि अमुक-अमुक हैं, उनके अपराधों का उल्लेख किया जाएगा और बाकी चीजें, कहां रहने वाला है व अन्य जानकारियों का उल्लेख होगा। उन स्पेशल कोर्स में उनको डेज़िग्नेट किया गया है। ऐसा लगता है कि स्पेशल कोर्ट बनने के बाद सब समस्या हल हो जाएगी, बहुत जल्दी-जल्दी मुकदमों का निस्तारण हो जाएगा, बल्कि यह देखना होगा कि स्पेशल कोर्ट बनाते समय, कोई नए न्यायालय नहीं बनने जा रहे हैं, नए न्यायाधीश नहीं अपॉइंट होने जा रहे हैं, बल्कि वर्तमान व्यवस्था में से किसी भी एक कोर्ट को डेज़िग्नेट कर दिया जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं है। यह समस्या Prevention of Atrocities Act में भी आयी और उसमें अध्ययन करके मंत्रालय की तरफ से special court के बजाय exclusive Court का प्रावधान किया गया कि न्यायालय में केवल यही मुकदमे सुने जाएंगे, उसके अलावा और कोई नहीं आएगा। अगर यह व्यवस्था होती तो मैं समझता हूं कि ज्यादा अच्छा होता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि special court के बजाय अगर exclusive Court की व्यवस्था की जाती तो वह ज्यादा अच्छा होता। एफईओ घोषित करते समय अगर कार्यवाही लम्बित हो...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KAHKASHAN PERWEEN): Puniaji, please conclude.

श्री पी. एल. पुनियाः मैं conclude कर रहा हूं। एफईओ घोषित करते समय अगर कार्यवाही लम्बित हो तो किसी सिविल कोर्ट में वह मुकदमा दाखिल भी नहीं कर सकता और उसके खिलाफ कोई मुकदमा हो जाता है तो उसको defend भी नहीं किया जा सकता। यह पूरी तरह से मज़ाक की तरह से है क्योंकि कोई शादी से संबंधित मुकदमा हो सकता है, succession से संबंधित मुकदमा हो सकता है, और भी कोई मुकदमा हो सकता है, लेकिन उसको वर्जित किया गया है। मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं है। जो सौ करोड़ की सीमा रखी गयी है, मेरी समझ में नहीं आया कि यह सौ करोड़ की सीमा क्यों रखी गयी है। माननीय मंत्री जी ने उल्लेख किया कि सौ करोड़ इसलिए रखा, ताकि बड़े-बड़े मामले पहले देखे जाएं। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह किन मामलों में लागू होगा, वह सूची तो आपके पास पहले से है। विदेश मंत्रालय की तरफ से सूची रखी गयी है कि 30 ऐसे व्यक्ति हैं, जिनके खिलाफ विभिन्न अपराधों के लिए ED या Income Tax में जांच चल रही है या जो बैंकों का पैसा लेकर भागे हैं। इस प्रकार 30 से ज्यादा मामले तो हैं ही नहीं, इसलिए सौ करोड़ की लिमिट लगाने का कारण मेरी समझ में नहीं आया कि इसका प्रावधान क्यों रखा गया है। मैं समझता हूं कि इस लिमिट को खत्म कर देना चाहिए। इस तरह से जो विदेश भाग जाते हैं, जिनके खिलाफ कार्यवाही चल रही है, जांच चल रही है, न्यायालयों में मुकदमे चल रहे हैं और warrant of arrest जारी किया है, तो वह उस पर लागू होना चाहिए – अगर यह प्रावधान रहे तो ज्यादा अच्छा होगा। इसके अतिरिक्त सीआरपीसी के सेक्शन 94 में search warrant का प्रावधान है। उसमें है कि अगर किसी के यहां Search करनी होगी तो न्यायालय से Search warrant लेना होगा। सीआरपीसी के सेक्शन 100 में यह प्रावधान है कि अगर Search करने जाएंगे तो दो गवाह साथ में होंगे, लेकिन इसमें आपने कहा है कि

[श्री पी. एल. पुनिया]

बिना किसी नोटिस के आप सीधे-सीधे search कर सकते हैं। हमारे विद्वान साथी ने बहुत विस्तार से बताया कि इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। Attachment of property ...**(समय की घंटी)**... मैं बस conclude कर रहा हूं, न्यायालय में दरख्वास्त दी जाती है, दरख्वास्त देने के बाद न्यायालय सुनवाई करता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि न्यायालय की प्रतीक्षा की जाए। वह कार्यवाही शुरू करता है या नहीं, उसका भी कुछ नहीं है लेकिन authority को उस प्रॉपर्टी को attach करने का अधिकार है। Proceedings चलते हुए भी authorities को attach करने का अधिकार है। मैं समझता हूं कि यह बहुत ही arbitrary है – वैसे भी बहुत थोड़ा समय दिया गया है, 180 दिन के अंदर उसका निस्तारण करना है, 6 हफ्ते के अंदर नोटिस का जवाब देना है, उसको हाज़िर होना है और अगर हाज़िर नहीं होगा तो उसको FEO डिक्लेयर कर दिया जाएगा और आगे की कार्यवाही होगी। मैं समझता हूं कि इसके ऊपर भी विचार करना चाहिए था। FEO declaration के बाद Government of India को अधिकार है कि उसको sale कर दिया जाए, लेकिन sale proceeds का क्या होगा, क्या किया जाएगा, इसका कोई उल्लेख नहीं है - Secured loan को offset किया जाएगा या unsecured loan का क्या होगा? अन्य कानूनों में यह है कि जितनी भी liabilities हैं, उन सबका लेखा-जोखा करके बराबर उसका वितरण कर दिया जाएगा। महोदया, मैं बस खत्म कर रहा हूं। इसमें हमें कमी लगती है।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कहकशां परवीन): आपने पांच मिनट extra ले लिए हैं।

श्री पी. एल. पुनिया: मैं बस आधे मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूं। जो न्यायालय में Special court के द्वारा प्रॉपर्टी confiscate करने के आदेश देने के संबंध में है, उसमें हिन्दुस्तान के अंदर और विदेशों में भी अगर प्रॉपर्टी होती है तो उसको भी confiscate करने का अधिकार है। ऐसा कौन सा अधिकार भारतीय न्यायालयों को मिल जाएगा, जिस अधिकार से वे ऐसा आदेश पारित कर सकेंगे? इसका भी खुलासा करना चाहिए कि किस तरह से आपने यह किया है। मैं आपका बहुत आभारी हूं। इसके साथ ही, मैं इस महत्वपूर्ण बिल का समर्थन करता हूं, लेकिन यह अवश्य कहूंगा कि जो-जो बिन्दु मेरे द्वारा उठाए गए हैं, वे बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनका भी अवश्य ख्याल रखा जाए, धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कहकशां परवीन): बहुत-बहुत शुक्रिया। प्रो. राम गोपाल यादव जी।

प्रो. राम गोपाल यादव (उत्तर प्रदेश): बहुत-बहुत धन्यवाद, वाइस चेयरपर्सन। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आज आप चेयरपर्सन की भूमिका निभा रही हैं। उपसभाध्यक्ष महोदया, यह विधेयक अच्छी मंशा से लाया गया है, इसलिए इसका विरोध करने का तो कोई सवाल नहीं उठता है, सिर्फ समर्थन ही करना है। मैं यह सोच रहा था कि इतने बड़े पैमाने पर लोगों को बैंकों से लोन कैसे मिल जाता है। मुझे स्वयं दो एकड़ जमीन, जिसकी कीमत दो करोड़ रुपए होगी, गिरवी रखने पर ही एक बैंक से 30 लाख रुपए का लोन मिला था, लेकिन हजारों करोड़, दस-दस हजार करोड़, पंद्रह-पंद्रह हजार करोड़ रुपए का लोन कैसे मिल जाता है, इसको समझने में मेरा दिमाग काम नहीं कर पा रहा है। मंत्री जी आप बताइए, यह किसकी सिफारिश से मिला, कौन लोग इसके पीछे थे और उन लोगों की भी जांच होनी चाहिए जिन्होंने इनकी सिफारिश की। ...**(व्यवधान)**...

श्री विजय गोयलः उस तरफ से पूछिए। ...**(व्यवधान)**...

प्रो. राम गोपाल यादवः मैं इधर-उधर की बात नहीं कर रहा हूं, जो भी हों, चाहे जिनकी तरफ से हों, जिन लोगों को बैंकों ने इतने बड़े पैमाने पर, कर्ज दिया है और वे लोग सारा पैसा लेकर बाहर चले गए हैं, एक बात तो यह है। दूसरा, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह कानून तो आपने उन लोगों के लिए बनाया है, जो यहां से पैसा लेकर बाहर चले गए, लेकिन जो बाहर से पैसा लेकर आए हैं और यहां पर बड़ी-बड़ी युनिवर्सिटीज़ खोल ली हैं और जो fugitive हैं, उनके खिलाफ आपके यहां कोई कानून है कि नहीं है? मैं यह जानना चाहता हूं कि उनके लिए क्या कानून है? एकतरफा नहीं चलता है कि अगर हमारा आदमी जर्मनी चला जाएगा और जर्मनी वाला यहां आ जाएगा, तो आपको तो वे वापस कर देंगे और आप वापस नहीं करेंगे, यह नहीं हो सकता है। माननीय मंत्री जी, एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूं कि वह इससे संबंधित तो नहीं पर मिलती-जुलती है। तमाम लोग कुछ ऐसी छोटी-छोटी कंपनियां चलाते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं और लोगों के जीवन भर की कमाई लेकर देश के अंदर ही कहीं चले जाते हैं। उनके लिए भी कोई ऐसा कानून है या नहीं है, कि उनको पकड़ा जाए और लोगों का पैसा वापस दिया जाए। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो हजारों लोगों की जीवन भर की कमाई लेकर चले गए और देश के अंदर ही हैं, वे देश से बाहर नहीं गए, लेकिन उनसे एक पैसा भी वसूल नहीं किया जा सका है। इसके बाद मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने जो यह बिल बनाया है, इसके कुछ पोर्शन्स मैंने देखे हैं। मैं वकील तो नहीं हूं, भूपेन्द्र जी होते तो कुछ बताते, लेकिन हमें यह लगता है कि आपका यह जो कानून है, It will prove to be haven for the lawyers. It will prove to be haven. कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जिसको आप फंसा सकें, वकील अच्छा खड़ा कर देंगे और सब बच जाएंगे। आप 180 दिन के लिए forfeit करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? इससे पहले Clause 11 में लिखा हुआ है कि "Where any individual to whom notice has been issued under sub-section (1) of Section 10 appears in person at the place and time specified in the notice, the Special Court may terminate the proceedings under this Act." कोई वकील ठीक तरह से बहस कर देगा, तो प्रोसीडिंग terminate हो जाएगी। वैसे आपने यह कानून लाकर वकीलों के लिए अच्छा धंधा कर दिया है। मैं आपको अभी से इस बारे में सचेत करना चाहता हूं कि कानून बनने के बाद भी हमें लगता है कि यह जो भगोड़ा शब्द आपने प्रयोग किया है, आप इनको ज्यादा दंडित नहीं कर पाएंगे। असली चीज़ यह है कि इनको बाहर से लेकर आएंगे, इनको जेल में डाल देंगे और कहेंगे कि दो साल की सजा दिलवा दी। जब तक इनसे पैसा वसूल नहीं किया जाएगा, इनकी सारी प्रॉपर्टीज़ को परमानेंटली ज़ब्त नहीं किया जाएगा तब तक ऐसे लोगों में कानून का भय पैदा नहीं होगा। इन्होंने जितना पैसा लिया है, उसके लिहाज से आप 180 दिन के लिए नहीं, permanently इसको forfeit कीजिए, वर्ना इस कानून का क्या फायदा है? हम 200 करोड़ रुपये लेकर चले जाएं और दो महीने की या दो साल की सजा काट कर आ जाएं और इसके बाद हमारी तीन पीढ़ियां आराम से गुजारेंगी, आप बताइए। इसलिए इनसे न केवल सारी प्रॉपर्टीज़ वापस लेनी चाहिए, बल्कि लम्बी सज़ा का भी प्रोविज़न होना चाहिए। वे लोग जो इनकी मदद करते हैं, जो इस तरह के लोगों की मदद करते हैं, जिन्होंने इतने बड़े पैमाने पर लोन दिलाने का प्रयास किया है या जिनकी वजह से लोन मिला है, they should be identified.

[प्रो. राम गोपाल यादव]

यह मेरी आपसे प्रार्थना है। मैं आपको बहुत बधाई देता हूं कि आप कानून लाये और कम से कम लोगों के मन में आगे के लिए भय पैदा होगा। बैंक्स इस तरह से न तो लोन दे सकेंगे और न लोग लोन लेकर भाग सकेंगे। एक strict दंडात्मक व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि एक deterrent काम की तरह यह लोगों के ऊपर काम करे और कोई देश को दोबारा ठग न सके, धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कहकशां परवीन): शुक्रिया राम गोपाल जी। श्री माजीद मेमन जी।

SHRI MAJEED MEMON (Maharashtra): First, I would like to congratulate the woman Vice-Chairman representing the entire House and representing the female Members of the House. ...(*Interruptions*)... मैं वित्त मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि **...(व्यवधान)...**

SHRIMATI JAYA BACHCHAN: She is representing even the males, not only the females. ...(*Interruptions*)... She is representing the entire House. ...(*Interruptions*)... That is the difference between a male ...(*Interruptions*)...

श्री माजीद मेमनः आप ठीक कह रही हैं। एक महिला पूरे हाउस को represent कर रही हैं। यह बड़े आनंद की बात है। बहरहाल मैं वित्त मंत्री जी से पहले दो-तीन बातें कहूंगा और उसके बाद प्रोविजन्स के बारे में थोड़ा-सा बताऊंगा। उसको आप नोट कर लीजिए। फिर आपको जैसा उचित लगे, वैसा कीजिएगा। देखिए, यह जो हमारी एक नया कानून लाने की कोशिश है। कानून की भीड़ से यह जरूरी नहीं है कि न्याय होगा। हमारा मकसद न्याय करना है। इस मामले में न्याय करना मकसद जो है, उसको हम अगर और shorten करें, तो यह है कि किसी economic offender को भागने से रोकना एक पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा यह है कि अगर वह भाग जाए, तो उसे वापस लाकर कान पकड़ कर कानून के सुपुर्द करना चाहिए। यह इस बिल का मकसद है। अब आप पहला भाग देखिए और दूसरा भाग देखिए। पहले भाग में यह है कि अगर कोई बड़ा economic offender है, जैसा कि आपने इसमें फरमाया है, अगर उसके खिलाफ कोर्ट ने वारंट जारी कर दिया है, तो यह हम सब की जानकारी में है, देश के 130 करोड़ लोगों की जानकारी में है कि किसी बड़े corporate के, celebrity के, बहुत अमीर आदमी के, किसी कारोबारी के खिलाफ जब अदालत वारंट जारी कर देती है, तो यह बड़ी खबर बन जाती है। जिस दिन से वारंट जारी हुआ, उसी दिन से टेलिविजन पर, न्यूज़ पेपर्स में चर्चाएं होनी शुरू हो जाती हैं, उसके बाद वह कैसे भाग जाता है? यह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। क्या immigration में बैठे हुए लोग इस बारे में नहीं जानते हैं? क्या हिन्दुस्तान से कोई और रास्ता exit करने का या भागने का है? क्या वहां के लोगों ने इसकी जानकारी नहीं ली कि इस शख्स के ऊपर ऐसा आरोप है कि इसने 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ रुपये देश के खा लिए हैं और इसके खिलाफ देश की अदालत ने वारंट जारी कर दिया है। फिर वे कैसे भाग जाते हैं, यह मेरी समझ में नहीं आता है? वे सिर्फ उसी सूरत में भाग सकते हैं, जब इनको कोई सहायता public Servant से मिलती हो। महोदय, हमें चाहिए कि हम जहां इस भगोड़े के पीछे लगे हैं, वहीं हम इस भगोड़े की सहायता करने वालों के खिलाफ भी कानून में कोई प्रावधान करें। मैं यहां किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप देखिए कि immigration में, आज की तारीख में यानी जुलाई, 2018 में

हमारे देश के कई हजार करोड़ों रुपए इस तरह से गबन कर के, इस प्रकार से लूट कर के लोग भाग गए हैं, जिसके कारण हमारे देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। कुछ लोग तो, सबकी जानकारी में होने के बावजूद बड़ी आसानी से भाग गए हैं। इन्हें भागने से रोकने का यहां क्या रास्ता है, यह बहुत बड़ा बल्कि सबसे बड़ा सवाल है?

मंत्री जी, आपने Definition under Clause 2(f) of the proposed Bill, 'fugitive economic offender' means any individual against whom a warrant for arrest in relation to a Scheduled Offence has been issued by any Court in India. इसमें आपने नीचे कहा है। इसके दो पार्ट हैं। एक तो है–

(i) One who has left India so as to avoid criminal prosecution; and second is;

(ii) being abroad, refuses to return to India.

Now, in my humble submission, Mr. Finance Minister, the principles of natural justice would require that you can't equate the two categories. They are not equals. The first is a graver offender. The second may not be, of course, as graver an offender as number one, because number one has not only committed the crime, but, has committed another crime of abscondance. It is something like jumping bail, akin to jumping bail. मुझे पता है कि मेरे खिलाफ़ अदालत ने वारंट जारी कर दिया है और इस बात की दखल ले ली। गई है कि मुझ पर 200 करोड़ रुपए या 2000 करोड़ रुपए गबन करने का आरोप है और उसके बावजूद भी मैं तैयारियां करता हूं और अपने 10-12 बैग्स लेता हूं और दिल्ली, मुम्बई या फलां एयरपोर्ट से निकल जाता हूं। इसलिए आपने offenders की दो categories बनाई हैं, उसमें क्या हम यह प्रावधान कर सकते हैं कि पहला offender जो यहां था, जिसे मालूम था कि उसके खिलाफ़ गुनाह बना है और उसे गुनाह के लिए कानून का अहतराम करते हुए अदालत के सामने जाना चाहिए, फिर भी वह भाग गया। उसका offence दूसरे से कम है। दूसरा जो पहले ही बाहर था, वह वापस आएगा, कुछ देर बाद आएगा या वकील को भेजेगा, वह थोड़ा सा softer है, हालांकि मैं उसकी वकालत नहीं कर रहा हूं। ...**(समय की घंटी)**... मैडम, मैं बस एक मिनट में खत्म कर रहा हूं। अब मैं आपकी तवज्जह section 9 की तरफ दिलाना चाहता हूं। इसमें आपने 9(b) में कहा है कि "Where an authority is about to search any person,.. Mantriji, listen to what I am saying.

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कहकशां परवीन): आप अपनी बात कहें।

श्री माजीद मेमन: महोदया, जो बात मैं कह रहा हूं, वह कहीं ज़ाया न चली जाए। It is a very important thing which I am trying to point out. "Where an authority is about to search any person, he shall, if such person so requires, take such person within twenty-four hours before the Magistrate." It is a precaution against abuse by the authority. So, this is also an important part of it. I am not defending the fugitive offender. But, please see this. If such person so requires; what does it mean? If such person so requires after having known his right that he has a right that he can be

[श्री माजीद मेमन]

taken before a magistrate. Please understand what I am trying to say. अगर किसी के यहां आप search कर रहे हैं, उसे आपको 24 घंटे में Magistrate के सामने ले जाना चाहिए। इसकी जानकारी उसे कौन देगा? अगर कानून यह कहता है कि उसे बताया जाए कि देखो, तुम चाहो तो तुम्हें 24 घंटे के अंदर Magistrate के सामने खड़ा किया जाएगा, ताकि ईमानदारी से तुम्हारी search हो, यह Corruptibility of the agency officials, this is a safeguard against that, and therefore, the person who is to be searched, has to be informed that you have a right, and if you so desire, I would take you. Otherwise, it is meaningless. उसी provision में Section 9 में है। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कहकशां परवीन): माजीद साहब, अब आप समाप्त कीजिए।

श्री माजीद मेमन: महोदया, यह आखिरी है। बस मैं खत्म कर रहा हूं। One of my Colleagues pointed out, but, I will explain it. Sub-clause (e) of Clause 9 Says, "Before making the Search under clause (a) or clause (d), the authority shall call upon two or more persons to attend." Now, please understand two or more persons have necessarily to be independent, respectable and from the same locality, as provided in general law, section 100, Sub-Section 4 of the Code of Criminal Procedure. Please see if you could have these things, it would be just for both sides. Thank you very much.

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कहकशां परवीन): श्री वीर सिंह।

श्री वीर सिंह (उत्तर प्रदेश): मैडम धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कहकशां परवीन): वीर सिंह जी, आपको तीन मिनट का समय दिया गया है।

श्री वीर सिंह (उत्तर प्रदेश): मैडम, मैं पाँच मिनट बोलूंगा। उपसभाध्यक्ष महोदया, आपने मुझे भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक, 2018 पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं अपनी पार्टी की तरफ से इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

महोदया, यह विधेयक भगोड़े आर्थिक अपराधियों को भारतीय न्यायालयों की अधिकारिता से बाहर रहते हुए, भारत में विधि की प्रक्रिया से बचने से रोकने के लिए, भारत में विधि शासन की पवित्रता की रक्षा के लिए कुछ उपाय करने के लिए लाया गया है।

महोदया, यह एक अच्छा प्रयास है, जिसके माध्यम से देश के गरीब लोगों द्वारा जमा किए गए धन को अपने उद्योगों को चलाने की खातिर विदेशों में भागे हुए बड़े व्यापारियों, जो बैंक के भी कर्जदार हैं और देश से भी फरार हैं, उन लोगों पर कानूनी अंकुश कसा जा सकेगा।

महोदया, देश में महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी भी बढ़ रही है तथा उद्योगपतियों और बैंकों की मिलीभगत से आर्थिक अपराध भी बढ़ रहे हैं। हमारा एनपीए बढ़ रहा है, भगोड़ों की संख्या बढ़ रही है, परंतु कोई प्रभावी कानून व प्रक्रिया नहीं होने के कारण आर्थिक अपराध बढ़ रहे हैं।

भगोड़े लचर कानून के चलते विदेशों में आराम से रह रहे हैं, अतः सरकार को इन्हें जल्द से जल्द देश में वापस लाने का काम करना चाहिए। यू.के., फ्रांस आदि देशों ने अपने कानूनों में आवश्यक संशोधन किए हैं और अन्य देशों को भी कानून में संशोधन करने की आवश्यकता है, जिससे ये अपराधी देश में वापस आ सकें और उन पर कानूनी प्रक्रिया चलाई जा सके।

महोदया, इस कानून को और भी कठोर बनाए जाने की आवश्यकता है, जिससे कि आने वाले समय में लोग नीरव मोदी, चौकसी, विजय माल्या, जतिन मेहता और ललित मोदी जैसे भगोड़े आर्थिक अपराधी न बनें और देश-विदेश में चिह्नित किए जा सकें।

महोदया, मैं चाहूंगा कि गांव, किसान, गरीब, मजदूरों, महिलाओं के कल्याण के लिए, रोजगार के लिए, उद्योगों के लिए जब बैंकों का एनपीए कम होगा, तो रोजगार के अवसर मिलेंगे और भविष्य में जो लोग इस देश के कमाऊ वर्ग के पैसे को लूटकर विदेशों में जाकर पनाह लेने का काम करेंगे, उन्हें सजा भी दी जा सकेगी। महोदया, एक बात मैं मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि यह कानून समान रूप से देश के सभी नागरिकों पर लागू होना चाहिए। इसमें 100 करोड़ की सीमा क्यों रखी जा रही है? क्या 100 करोड़ से कम पैसा लेकर भागने वाले व्यक्ति समान रूप से आर्थिक अपराधी की श्रेणी में नहीं आते हैं? महोदया, चोरी तो चोरी है, फिर वह चाहे एक रुपये की चोरी ही क्यों न हो? मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इस बारे में सदन को बताएं।

(**श्री सभापति महोदय** *पीठासीन हुए*)

दूसरा, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आर्थिक अपराधी के लिए कौन-सी जाँच एजेंसी होगी? क्या सरकार डीआरआई, ईडी, सीबीआई, लोकपाल आदि या कोई नई एजेंसी के गठन की तैयारी कर रही है?

तीसरा, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि किन-किन देशों में हमारे देश के आर्थिक अपराधी हैं और किन-किन देशों के साथ हमारी द्विपक्षीय संधि है और किन देशों के साथ संधि अभी लंबित है, जिससे इन भगोड़ों की वापसी आसान होगी?

सभापति महोदय, इस विधेयक में यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति, जो पैसा लेकर विदेश भाग जाता है, उसकी प्रॉपर्टी को ज़ब्त करके, 6 महीनों में बेचकर लोगों का पैसा लौटाया जाएगा, परंतु देश के अंदर ही ऐसी बहुत सी पोंजी कंपनियाँ हैं, जैसे पीएसील ग्रुप, सहारा आदि है, जिसने लोगों के अरबों रुपये दबा रखे हैं और सेबी की कार्यवाही के बाद भी लाखों लोगों का पैसा फंसा हुआ है। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इसका संज्ञान लें और इस पर आवश्यक कार्यवाही करें।

सभापति महोदय, हमारे देश को आज़ाद हुए सत्तर वर्ष से अधिक हो गए हैं, लेकिन इस देश में गरीब और गरीब होता जा रहा है और पूंजीपति, उद्योगपति मालामाल होता जा रहा है। जब किसान अपने संसाधन के लिए लोन लेता है या मजदूर अपनी रोजी-रोटी चलाने के लिए लोन लेता है और किस्त जमा नहीं कर पाता, तो गाँव में ढोल से मुनादी पिटवाकर उसको बेइज्ज़त किया जाता है। दस, बीस हज़ार या एक दो लाख के लिए भी उसे जेल भेज दिया जाता है, किंतु जब इस देश में बड़े-बड़े व्यापारी, उद्योगपति, अरबों, करोड़ों रुपये लेकर भाग जाते हैं,

[श्री वीर सिंह]

तब उनके साथ कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। यह जो विधेयक लाया जा रहा है, हो सकता है कि इसके बाद उन पर कार्यवाही की जा सके।

सभापति महोदय, डा. भीमराव अम्बेडकर जी का सपना था कि हमारे देश में आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक समानता होनी चाहिए, किंतु हमारे देश में आज तक समानता नहीं आ पाई है। बाबा साहेब का समानता का जो सपना था कि सबको समान होना चाहिए, वह पूरा नहीं हो पाया है। इन्हीं शब्दों के साथ, मैंने जो सुझाव दिए हैं, उनको आपके सामने रखते हुए और इस विधेयक का समर्थन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापतिः धन्यवाद वीर सिंह जी। श्री संजय सिंह, you have three minutes.

श्री संजय सिंह (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली)ः सभापति महोदय, आपने इस महत्वपूर्ण बिल पर मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। महोदय, हमारी पार्टी भ्रष्टाचार के विरुद्ध सख्त से सख्त कानून लाए जाने के पक्ष में है। किसी भी तरह का आर्थिक अपराध करने वालों के विरुद्ध सरकार कानून लाती है, तो हम उसका स्वागत करेंगे, उसका समर्थन करेंगे, लेकिन इसके साथ-साथ हमारे मन में कुछ जिज्ञासाएँ हैं, मैं माननीय मंत्री जी से उनका उत्तर जरूर चाहूँगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप इसमें ऐसे नियम बना दें, जिसके कारण यह बिल न्यायालय में न टिक पाए और आपको इस बिल को वापस लेना पड़े। इसलिए यदि आप ऐसे नियमों पर कृपा करके एक बार पुनर्विचार करेंगे, तो शायद आपके लिए ठीक होगा। धारा 14, उपधारा (क) के अनुसार, "किसी व्यक्ति की भगोड़ा आर्थिक अपराधी के रूप में घोषणा पर, भारत में कोई न्यायालय या अधिकरण, उसके समक्ष किसी सिविल कार्यवाही में, ऐसे व्यक्ति को कोई सिविल दावा प्रस्तुत करने या उसकी प्रतिरक्षा करने से अननुज्ञात कर सकेगा।" यानी कोई भी व्यक्ति कोई सिविल दावा नहीं कर सकता, अगर उसको आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया गया है, आर्थिक भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। मान्यवर, यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ होगा। मुझे लगता है कि अगर इस बिल के खिलाफ कोई व्यक्ति कोर्ट में चला गया, तो आपके लिए मुश्किल होगी। मुझे कुछ नहीं कहना है, यह सरकार को तय करना है कि इस पर आप क्या निर्णय लेंगे।

महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और एक दूसरी अंतिम बात कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं माननीय मंत्री जी से जरूर इस पर उत्तर चाहूँगा कि विदेशों में जो आर्थिक अपराधी रहेंगे, आप उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए कानून ला रहे हैं, यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन हिन्दुस्तान के अन्दर आर्थिक अपराध करके बैठे हुए जो लोग हैं, आप उनको विदेश जाने से कैसे रोकेंगे, इसके बारे में इस कानून में कुछ भी नहीं कहा गया है। मैंने एक सामान्य सा सुझाव दिया था। माननीय मंत्री जी, मैंने आपको भी एक पत्र लिखा था और आपके ईडी डिपार्टमेंट को भी नाम सहित पत्र लिखा था। कई बार हम लोग नाम लेने पर भुक्तभोगी भी हो जाते हैं। मैं अपनी पीड़ा बताना चाहूंगा। मैंने सदन के अन्दर एक अंबानी कंपनी का नाम ले लिया।

श्री सभापतिः प्लीज़। ऐसा मत कहिए।

श्री संजय सिंहः तो मेरे खिलाफ 5 हजार करोड़ रुपए का defamation हो गया। मान्यवर, भ्रष्टाचार के मामले में मैंने अंबानी की कंपनी का नाम ले लिया, तो 5 हजार करोड़ रुपए का defamation, हिन्दुस्तान की आजादी के बाद शायद सबसे बड़ा defamation मेरे ऊपर हो गया। मंत्री जी, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैंने एक सूची दी थी, जिसमें 8 लाख 55 हजार करोड़ रुपए के बैंकों के बकायेदारों की सूची है। रिलायंस ग्रुप पर 1 लाख 25 हजार करोड़ रुपए का कर्ज, वेदांता ग्रुप पर 1 लाख 3 हजार करोड़ रुपए का कर्ज, एसआर ग्रुप पर 1 लाख 1 हजार करोड़ रुपए का कर्ज, ऐसा मैंने दिया था। मैंने आपसे एक ही निवेदन किया था कि कृपा करके ऐसे बड़े बैंक के बकायेदारों के पासपोर्ट ज़ब्त कर लीजिए। मंत्री जी, अगर हम लोग कोई अपराध करते हैं, तो आप हमें बाहर जाने से रोक देते हैं। आप हर साल हमारे पासपोर्ट का renewal कराते हैं, लेकिन जो देश में लाखों-करोड़ों रुपए का कर्ज लेकर बैठे हुए हैं, आप कम से कम इनका पासपोर्ट ज़ब्त करने का नियम बना दीजिए, जिससे ये हिन्दुस्तान छोड़ कर भागने न पाएँ तथा इनका जो लाखों-करोड़ों रुपए का कर्ज है, वह कर्ज़ इनसे वसूला जा सके, इनकी सम्पत्ति ज़ब्त की जा सके और इनके ऊपर कार्रवाई की जा सके। अगर आप हमें रोक सकते हैं, तो इन बड़े बकायेदारों को क्यों नहीं रोक सकते? मान्यवर, बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: Shri Jose K. Mani. ...(*Interruptions*)... He is the last speaker. ...(*Interruptions*)...

SHRI BHUBANESWAR KALITA (Assam): It is his maiden speech. ...(*Interruptions*)...

श्री सभापतिः यह आपकी maiden speech नहीं होगी। अगर जरूरत पड़ी, तो मैं आगे कभी और आपको मौका दूंगा। इस विषय पर आप संक्षेप में बोलिए। I can give you time. ...(*Interruptions*)...

SHRI JOSE K. MANI (Kerala): Mr. Chairman, Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak. Firstly, I would like to mention that the Economic Offenders Bill, 2018 is a move to curb the economic offenders by the current Government and nevertheless this Bill is too little, too late provided it takes care of the big offences against the Indian economy by fraud and money laundering that has already been done. The offenders like the big guns, the names of these big guns have been mentioned by my colleagues many times in this House, have already fled the country. There are already existing criminal laws against economic offenders and this Bill does not provide anything new on the plate. Sir, we have so many Bills being introduced every day; so many laws and rules are there against money laundering, against black money, on atrocities against women, but we always find that the criminals or the number of crimes is growing more and more in spite of all these laws and rules. What we really need is a will of the Government to bring the offenders behind the bars. For example, the Kingfisher property had been put up on auction seven times, but there have been no takers at all. Does it mean

[Shri Jose K. Mani]

that the rich in India do not have the resource to pay the court? I feel there is collusion between the Government and such offenders. Now, speaking on the aspect of banking system, I would like to make a submission. My observation is that mainly because the auditing system is bad, the accounting system is bad, before bringing in all these laws, we need to make our system fool-proof so that there is no chance for the offenders to cheat the country. The second observation that had come to this House is, – the Bill has laid stress on that – why a cap has been put on the amount of ₹ 100 crores. Would that mean that an offender can run away with the money of the common man amounting to ₹ 99 crores? The third point that I would like to mention is, the existing criminal law gives an economic offender a time of 30 days to appear in front of the court. While this Bill speaks of giving six weeks to the offender to be present in the court, if the offender has a good intention to come back or to be present in the country, definitely a short period of ten days or even less than that will do. But giving leniency, I would like to know from the Government the reason behind giving more time for the offender to come in front of the court. Lastly, Mr. Chairman, with all respects to the law of the land, keeping the spirit of our Constitution in mind, even a declared economic offender should have the same right as any citizen of India. By that, I mean that he should be punished for the crime he has committed, not otherwise. Therefore, Mr. Chairman, I find Clause 14(a) not in spirit with the provisions of Indian Constitution because it takes away the right to trial by civil and tribunal courts. For example, if he is fighting a parental responsibility case, he should have the right to do so. He should be punished for the offence he has done and I stress, and not otherwise. These are my submissions. Thank you.

MR. CHAIRMAN: Now, the Minister to reply.

SHRI PIYUSH GOYAL: Sir, at the outset, I must thank the hon. Members and the distinguished Members of this House for their active participation in this very important Bill. The discussions were extremely fruitful and enlightening. खास तौर पर मैं यह कहना चाहूंगा कि ऐसी सार्थक चर्चा अगर सभी बिलों में हो, तो इससे सदन की गरिमा बढ़ती है और मैं समझता हूं कि पूरा देश यह देखता है कैसे हम सब एक सदन में, एकजुट होकर भारत के भविष्य के लिए देश को तैयार कर रहे हैं।

महोदय, आज की चर्चा में भाग लेने में मुझे बहुत ही आनन्द आया और मैंने सभी के सुझावों को खुले दिल से, खुले मन से स्वीकार और ग्रहण भी किया है, साथ ही जिन-जिन सुझावों के ऊपर कार्यवाही की जा सकती है, उनको लेकर भी मेरा मन पूरे तरीके से खुला रहेगा। सबसे पहले मैं यह जरूर बताना चाहूंगा कि अगर इस कानून का सबसे पहला कोई ओरिजिन है, तो

'United Nations' Convention against Corruption' है, जिसको भारत ने 2011 में अपनाया था। उसके तहत यह कहा गया था कि कई ऐसे लोग होते हैं, जो देश की कानून व्यवस्था से भाग जाते हैं या जो भगोड़े होते हैं। जो लोग कानून की व्यवस्था के सामने अपने आपको पेश नहीं करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सभी देश मिल कर इन लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई करने के लिए एक-दूसरे का सहयोग करें, to provide mutual legal assistance and take such measures as may be necessary to give effect to an order of Confiscation issued by Court of another State party. यानी अगर भारत में कोई कोर्ट यह कहे, किसी भगोड़े की प्रॉपर्टी किसी और देश में भी पायी जाती है, उसको भी भारत ज़ब्त कर सके, उसमें भी सभी देश एक-दूसरे को कानूनी सहायता दें and take such measures as may be necessary to allow confiscation of such property without criminal conviction. कई बार यह विषय आज चर्चा में निकला confiscation of such property without a criminal conviction in cases in which the offender cannot be prosecuted by reason of death, flight or absence or any other appropriate case. Basically, कहने का तात्पर्य यह है कि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं चाह सकता है कि पहले मेरी conviction हो, तभी मेरी प्रॉपर्टी ली जायेगी, लेकिन conviction के लिए मैं सामने पेश भी नहीं होऊँगा, मैं तो विदेश में बैठा रहूँगा या कहीं शरण ले लूंगा। तो you cannot have cake and eat it too कि मेरी प्रॉपर्टी भी सुरक्षित रहे, भारत में या विदेश में और साथ ही साथ मेरे ऊपर आप एक्शन भी नहीं ले पाओ, क्योंकि I am not submitting myself to the due process of law. इसको रोकने के लिए United Nations ने ऐसे कानून की चर्चा की थी। मैं समझता हूँ कि 2011 के बाद इसको लाने की बातचीत रही होगी, परन्तु मुझे खुशी है कि आज यह सदन इसको पारित करके इसको कानून के रूप में बनायेगा और इसके तहत हम आगे की कार्रवाई कर सकेंगे।

यहाँ एक विषय यह भी उठाया गया कि हमें साथ ही साथ दूसरे देशों के साथ extradition treaty भी करनी पड़ेगी, जिससे हम लोगों को यहाँ ला सकें। मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि अभी-अभी पार्लियामेंट में, हमारी राज्य सभा में 22 मार्च को एक प्रश्न के उत्तर में विदेश मंत्री जी ने कहा था कि अभी तक हमारे पास 48 देशों के साथ extradition treaty sign हो चुकी है। इसे हम आगे बढ़ाते रहें। जब-जब नये देशों के साथ चर्चा खत्म हो जाती है, negotiation खत्म होता है, इसको बढ़ा कर कोशिश रहेगी कि विश्व के सभी देश इसमें एक-दूसरे का सहयोग करें।

कुछ माननीय सांसदों ने इसमें यह भी पूछा कि आप लोगों को कैसे वापस लाएँगे? उसका तो एक already extradition treaty के तहत procedure है कि जो भी Contracting States हैं, जिनके साथ हमारी extradition treaty है, उनको भारत सरकार लिखती है और फिर उधर से व्यक्ति को वापस लाने की कोशिश करती है। अगर extradition treaty नहीं हो, तब भी व्यक्ति को वापस लाने के लिए हमारे प्रयास diplomatic and other channels के माध्यम से जारी रहते हैं।

डिबेट के दौरान कई प्रश्न निकले। वास्तव में मैंने उन सबको संक्षेप में list out किया, तो करीब 12-13 मुद्दे निकले हैं। तीन-चार माननीय सांसदों ने कुछ विषय उठाये। अगर मैं सबका नाम नहीं लूं, तो कोई अन्यथा न लें, लेकिन पहले सांसद, जिन्होंने जो विषय उठाया, उनके नाम से मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा।

[Shri Piyush Goyal]

माननीय विवेक तन्खा जी एक बहुत ही विख्यात वकील हैं। हम सब उनका आदर करते हैं। वे पूरे कानून को अच्छी तरह से समझते हैं। उन्होंने यह विषय उठाया कि 100 करोड़ का प्रावधान इसमें क्यों लाया गया है? मैं बताना चाहूंगा कि 100 करोड़ कोई ऐसी लिमिट नहीं है कि 100 करोड़ के नीचे के लोग फ्री हो जाएँगे, बरी हो जाएँगे। आज भी सभी के ऊपर अलग-अलग कानूनों के तहत कानूनी कार्रवाई चल रही है, लेकिन अगर हमें बड़े offenders पर focus करना है, अगर हमें कोशिश करनी है कि बड़े offenders के ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, देश का पैसा वापस आये, तो उस वजह से इस कानून को "₹ 100 crores and above" ऐसा बनाया गया है। जो लोग 100 करोड़ के नीचे के हैं, उनके ऊपर अलग-अलग कानूनों के अंतर्गत जो कार्रवाई आज चल रही है, future में भी की जाएगी, वह अपने normal course में चलेगी, लेकिन स्पेशल कोर्ट को इतना clogged and busy नहीं कर दें कि फिर पुरानी व्यवस्था पर चले जाएँ कि बड़े-छोटे सब एक साथ लाइन में खड़े हैं। एक माननीय सदस्य ने यहां exclusive courts की भी चर्चा की थी। ये एक प्रकार से exclusive courts हैं। PMLA के तहत जो Enforcement Directorate के कानून हैं, Prevention of Money Laundering Act के तहत, ये Special courts बने हैं, उनके अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी, so that the serious offenders are dealt with most effectively ताकि Special Courts पर burden भी कम रखा जाए और वे लगातार कार्यवाही करके अच्छे outcome मिलें।

माननीय तन्खा जी ने एक प्रश्न यह उठाया कि इसका नेचर criminal है या civil है? इस बिल के schedule में जितने कानून लिखे हैं, जो इसके तहत आते हैं, वे सभी economic offences हैं। Clause of Preponderance of Probability की धारा 16(3) में जो व्यवस्था है, उससे वह matter कोई civil matter नहीं बन जाएगा। यह कानून Seheduled offence से जुड़ा हुआ है। इसकी preponderance of probabilities के सिद्धांत से यह सिविल कानून नहीं बन जायेगा, क्योंकि वैसे भी यह Special Courts के अंतर्गत आएगा। दूसरे cases इसमें नहीं होंगे। मैं समझता हूं कि इससे कानून की प्रासंगिकता कायम रहेगी।

माननीय तन्खा जी ने यह भी जानना चाहा कि इसमें search, seizure and detention के बारे में क्या Constitutional safeguards किए गए हैं ? मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि इसमें सभी search, seizure and detention के प्रावधान शत-प्रतिशत Prevention of Money Laundering Act, 2002 से लाए गए हैं। सभी precautions जो वहां रखे गए हैं, वे यहां भी रखे गए हैं, safeguards के लिए, जैसे reasons to be recorded in writing before any search or seizure or questioning can take place by a Director level officer. इसके साथ-साथ दो independent Witnesses का प्रावधान इसके अनुभाग 9(a) में रखा गया है, जो विषय माजीद भाई ने अभी यहां उठाया था। तन्खा जी ने यह विषय भी उठाया कि जब attachment of property दूसरे कानूनों में भी होती है, DRT में भी होती है, फिर नए कानून की जरूरत क्या थी? सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि अभी जो कानून हैं, उनमें प्रक्रिया बड़ी धीमी है। हमारी कोर्ट्स के सामने बहुत से cases लंबित हैं, जिससे उनके निपटारे में लम्बा विलम्ब हो जाता है। इसके साथ विभिन्न राज्यों में अलग-अलग कोर्ट केस करके इन सभी properties को ज़ब्त करना पड़ता है, क्योंकि procedure of attachment कुछ मात्रा में inefficient है। Process of mechanism time bound

न होने के कारण इस कानून में हमने एकदम time bound, efficient and effective process adopt किया है, जिसके तहत जल्द-से-जल्द property ज़ब्त की जा सकेगी। जब तक ऐसा नहीं होता, फिर न तो लोगों के भागने से deterrent होगा और जो already भगोड़े बन चुके हैं, उन्हें यह डर भी नहीं रहेगा, जिसे लेकर हम सोचते हैं कि कुछ लोगों को वापस ला पाएंगे अन्यथा उनकी property ज़ब्त हो सकती है, एक समय-सीमा में ज़ब्त हो जाएगी, इस डर के कारण हम कुछ लोगों को वापस ला सकेंगे, ऐसी हमारी अपेक्षा है।

माननीय गौड़ाजी ने तो यहां तक challenge कर दिया कि – hang your head in shame वगैरह, जो पता नहीं कौन से कवि या लेखक का किसी famous play में dialogue था, लेकिन मैं समझता हूं कि मुझे 'hang my head in shame' कभी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे कार्यकाल में, मेरी सरकार के कार्यकाल में, हमने ऐसा कोई काम नहीं किया, जिससे किसी को protection मिले, Security मिले। Rather हम काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और उन्हें law के सामने submit करने को मजबूर कर रहे हैं, जिन्होंने कानून तोड़कर इस देश की सम्पत्ति चुराई है, देश की सम्पत्ति का दुरुपयोग किया है।

इसी के साथ-साथ जुड़ा हुआ एक विषय यह आया कि Principle of Non-Conviction Based asset Confiscation आप कैसे कर रहे हैं? अभी तक तो conviction हुई नहीं और आप किसी की सम्पत्ति ज़ब्त कर लेते हैं – यह कैसे चलेगा ? मैं बताना चाहूंगा कि इस कानून के तहत कोई नया offence नहीं आ रहा है, there is no new offence under this law. किसी old offence के अंतर्गत कोई व्यक्ति देश से भाग गया है, सिर्फ उसकी सम्पत्ति ज़ब्त होने वाली है। इसलिए conviction वगैरह उस offence के तहत होता है या नहीं होता है, वह उसके circumstances पर depend करता है। इसमें भी एक settled law है, सुप्रीम कोर्ट का 2016 का एक जजमेंट है – योगेन्द्र कुमार जायसवाल *Vs.* State of Bihar, जिसके पृष्ठ 276 पर कोर्ट ने लिखा है – "If a subject acquires property by means which are not legally approved, Sovereign would be perfectly justified to deprive such person of the enjoyment of such ill-gotten Wealth." "There is a public interest in ensuring that persons who cannot establish that they have legitimate sources to acquire the assets held by them do not enjoy such wealth. Such a deprivation, in our opinion, would certainly be consistent with the requirement of Articles 300-A and 14 of the Constitution which prevent the State from arbitrarily depriving a subject of his property." मैं समझता हूँ कि यह Constitutionally valid है। अगर ऐसा व्यक्ति यह समझता है कि मैंने कोई अपराध नहीं किया है, मेरी प्रॉपर्टी वैध है, तो वह भागा क्यों है? वह वापस आ जाए, देश में कानून की प्रणाली उसको न्याय देने के लिए एकदम सक्षम है। आकर he should submit himself to the law और उसको न्याय मिलेगा। उसकी संपत्ति ज़ब्त भी नहीं होगी, उसका भी प्रावधान रखा गया है। जब नोटिस इश्यू होता है, तब अगर एक समय-सीमा के अंदर व्यक्ति वापस आकर he submits himself to the law, तो हम उसकी संपत्ति ज़ब्त नहीं करेंगे। अगर वह ऐसा करेगा, तो कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से जो होगा, वह किया जाएगा। इसका purpose यह है कि भागे हुए आदमी को अपनी प्रॉपर्टी बचाने का यह प्रोटेक्शन न मिले कि न तो मैं कानून के सामने आऊंगा और कानून मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, जो इतने वर्षों तक चला, जिसके कारण आज यह परिस्थिति है कि हमको बार-बार

[Shri Piyush Goyal]

कुछ नाम लेने पड़ते हैं कि ये कैसे भाग गये, क्यों भाग गये, कब भाग गये, इनको भागने से रोकने के लिए क्या किया गया, आदि-आदि। सुखेन्दु शेखर राय जी ने Constitutionally validity का प्रश्न उठाया था, जिसका मैंने अभी-अभी जवाब दिया है।

महोदय, एक प्रश्न यह आया कि are we disentitling under Clause 14 the person to his right to access Courts? मैं समझता हूँ कि ऐसा तो कोई प्रावधान नहीं है। अगर आप इस कानून के clause 14 को पढ़े, तो उसमें बहुत स्पष्ट रूप से शब्द 'shall' नहीं यूज़ किया गया, बल्कि 'may' यूज़ किया गया है। अगर clause 14 के दोनों सेक्शन्स को देखें, तो पाएंगे कि clause 14(a) में भी लिखा है, "On a declaration of an individual as a fugitive economic offender, any court or tribunal in India, in any civil proceeding before it may disallow such individual from putting forward or defending any civil claim." और 14(b) में भी यही लिखा है, "any court or tribunal in any civil proceeding before it may disallow any company or limited liability...." कहने का तात्पर्य यह है कि हम कोई disentitle नहीं कर रहे हैं, हम कोई किसी का अधिकार नहीं छीन रहे हैं, लेकिन यही प्रश्न उठता है कि आदमी भी भाग गया, वह सामने नहीं आ रहा है और आप कुछ एक्शन भी नहीं ले सकते हैं, इसलिए अब कोर्ट यह तय करेगी कि equity किसमें है? What is equitable कि क्या उसको allow किया जाए कि वह विदेश में भागा रहे और उसकी संपत्ति को हम हाथ नहीं लगाएं और या उसको अपनी संपत्ति बचानी है, तो वह वापस आकर कोर्ट के सामने अपने आपको पेश करे। यह अधिकार हमने कोर्ट पर छोड़ा है और मैं समझता हूँ कि हम सब कोर्ट के न्याय के फैसले का सम्मान करते हैं, हम सब उसका आदर करते हैं। इसी प्रकार से इसका भी फैसला कोर्ट करेगी।

माननीय नवनीतकृष्णन जी ने प्रश्न उठाया था कि अगर कोई व्यक्ति तीन बार कोर्ट के समक्ष नहीं आए, तो उसको एक offence बना लिया जाए। वैसे हमने इसमें कोई नया offence बनाया ही नहीं है और तीन बार आने का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि वैसे भी वह भागा हुआ है। हमने उसको वापस आने के लिए नोटिस दिया, उसको 6 सप्ताह या जितने दिन का भी समय दिया हो, अगर वह व्यक्ति उस समय के अंदर आ गया, तो विषय खत्म है, फिर तो वह कानून के संरक्षण में आ जाएगा। अगर वह वापस नहीं आया, तो तीन बार non-appearance का तो कोई सवाल ही नहीं है।

इसी प्रकार से माननीय हरिवंश जी ने एक प्रश्न उठाया था और यह सही बात है। कि गवर्नमेंट इन पुराने भगोड़ों को वापस कैसे लाएगी? अब इस बिल का जो उद्देश्य है, वह एक प्रकार से कुछ deterrence है कि आगे कोई इस डर के कारण भागे नहीं कि अगर हम भागेंगे, तो कानून मेरी पूरी संपत्ति को ज़ब्त कर लेगा और दूसरा यह है कि जो लोग गए हैं, उनको बताना है कि you cannot enjoy ill-gotten wealth, जो मैंने सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को पढ़ा। उस डर के कारण लोग वापस आएंगे, क्योंकि इसमें पूरी प्रॉपर्टी ज़ब्त होने का भी डर है और उस डर के कारण हम चाहते हैं कि लोग वापस आएं। बाकी तो extradition treaty के तहत ही हमको लोगों को लाना पड़ता है।

माननीय राजीव गौडा जी ने पूछा कि इसमें preventive steps क्या लिए जा रहे हैं ताकि fugitives देश छोड़ कर न जाएं, यह बहुत अच्छा सवाल है। हम सब माननीय सदस्य जानते हैं कि कानून की प्रणाली की एक अपनी मर्यादा है, कोई व्यक्ति को ऐसे ही रोका नहीं जा सकता, जब तक कानूनी व्यवस्था के हिसाब पूरी प्रक्रिया को पूरा न किया जाए। एक तरफ कई माननीय सांसदों ने ऐसे बेसलेस एलिगेशन्स लगाए, जैसे कोई पोलिटिकल टार्गेटिंग हो रही है, लोगों के ऊपर गलत कार्यवाही हो रही है। अगर बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के किसी का भी पासपोर्ट ज़ब्त कर लिया गया या किसी को भी रोका गया, तो क्या-क्या अनाप-शनाप एलिगेशन्स लगेंगे, उनका जवाब कौन देगा? क्या किसी का भी पासपोर्ट ज़ब्त करना किसी दरोगा के हाथ में हो सकता है, बिना due process क्या immigration officer किसी को भी देश छोड़ने से रोक सकता है? ये कुछ कठिनाइयां हैं, जो कि कानून से जुड़ी हुई हैं। आप सभी देश के कानून की मर्यादाओं को अच्छी तरह से जानते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार का The Fugitive Offenders Bill', जिसको सभी माननीय सदस्यों ने सपोर्ट किया है, मैं समझता हूँ कि यह हमारे देश के लोकतंत्र की मजबूत ताकत का एक और उदाहरण रहेगा कि कैसे जब कोई अच्छी चीज़ हो रही होती है, हम पार्टी लाइन्स को छोड़कर उसको एक साथ सपोर्ट करते हैं। प्रो. एम.वी. राजीव गौडा जी ने यह भी पूछा था कि pre-trial and pre-Conviction Confiscation of assets, जिसका मैंने अभी-अभी सुप्रीम कोर्ट का ब्यौरा देते हुए जवाब दिया है। श्री वीर सिंह जी ने अच्छा सवाल पूछा कि इस एक्ट में Investigating Authority कौन सी रहेगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि Enforcement Directorate under PMLA will be the investigative and implementing authority और किसी व्यक्ति को fugitive economic offender declare करने के लिए ई.डी. के डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर स्पेशल कोर्ट के सामने एप्लिकेशन्स फाइल करेंगे, अगर वह भाग कर जाता है।

श्री वि. विजयसाई रेड्डी जी ने पूछा था, Why does the company get disentitled if the claim is filed by individual having a controlling right in the Company? यह बहुत अच्छा सवाल था, what about the rights of minority shareholders? मैं बताना चाहूंगा कि यह आप सभी को ध्यान में होगा कि ऐसे कई cases हुए हैं, जिनमें कंपनी का मालिक minority rights की आड़ में खुद ही एक proxy को खड़ा करके उस कंपनी को protect कर लेता है। This is only to avoid proxy claims on behalf of fugitive economic offenders. अगर कोर्ट को लगता है। कि ये genuine Cases हैं, ये proxy नहीं हैं, तो कोर्ट के पास पूरा अधिकार है कि उस कंपनी के क्या assets ज़ब्त करने हैं और क्या नहीं करने हैं। हर चीज़ कानून निर्धारित नहीं करता है, उसे कोर्ट निर्धारित करती है। मैं समझता हूँ कि कोई कंपनी तब तक disentitle नहीं होगी, जब तक facts of the case कानून के समक्ष नहीं रखे जाएंगे और genuinely किसी कंपनी के ऊपर यह एक्शन लेने की आवश्यकता नहीं हो।

सभापति महोदय, मैं एक-दो विषयों पर और बोलूंगा। क्या गवर्नमेंट किसी offence को Schedule से omit कर सकती है, ऐसी कई माननीय सदस्यों ने आपत्ति जताई है। श्री बिनॉय विस्वम जी, ने भी यह प्रश्न उठाया। यह हम सभी जानते हैं कि अगर हमें बार-बार कानून को बदलना पड़े और यहाँ पर लाना पड़े, तो इस सदन का इतना समय जाएगा कि हम अपने बाकी काम पूरी तरह से नहीं कर पाएंगे। इसे इस Schedule में रखा गया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता

[Shri Piyush Goyal]

हूँ कि Schedule कभी भी बदला जाता है, तो नोटिफिकेशन्स दोनों Houses of Parliament के समक्ष रखी जाती हैं। आपको याद होगा 2-3 साल पहले, 2-3 ऐसे नोटिफिकेशन्स पर Communist सदस्यों ने, मुझे exact नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन शायद राजीव जी या कुछ और था, उन्होंने इस सदन में बहुत विस्तार से ऐसे नोटिफिकेशन्स और Schedule change पर भी चर्चा की थी। माननीय श्री पी.एल. पुनिया जी ने पूछा था कि exclusive court क्यों नहीं create किए जाएं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस प्रकार के offences के लिए स्पेशल कोर्ट, exclusive Court ही रहेंगे, इसीलिए सौ करोड़ की सीमा रखी गई है, जिससे इन कोर्ट्स की effectiveness रहे। आखिर में last but not the least, हमारे सदन के बड़े वरिष्ठ नेता, प्रो. राम गोपाल यादव जी ने कहा कि why are proceedings terminated if the alleged fugitive economic offender appears in person? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक नोटिस दिया जाता है, after all कानून में सभी को एक मौका देना होता है, submit to the law, फिर आगे की कार्यवाही इस कानून में नहीं होगी, लेकिन इससे उसकी माफी नहीं हो जाएगी, बल्कि रेग्युलर कानून के तहत एक्शन होगा और कानूनी प्रक्रिया चलेगी। इस कानून का उद्देश्य है कि लोगों को वापस लाने की चेष्टा की जाए और दूसरे लोगों को भागने से रोकने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। जितने विषय आए थे, मैंने कोशिश की है कि उन सभी को आपके समक्ष रखें। अगर फिर भी किसी माननीय सदस्य का कोई प्रश्न है, तो बाद में उनसे चर्चा करके मैं उसका समाधान कर सकता हूँ। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप इस बिल को पारित करके सरकार के उन कदमों में मदद करें, जिनके माध्यम से हम इस प्रकार के भगोड़ों को सख्त से सख्त सज़ा देना चाहते हैं।

Thank you. ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Thank you.

The question is:

> "That the Bill to provide for measures to deter fugitive economic offenders from evading the process of law in India by staying outside the jurisdiction of Indian Courts, to preserve the sanctity of the rule of law in India and for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: We shall now take up Clause-by-Clause consideration of the Bill. In Clause 2, there are four Amendments; Amendment (No. 1) by Shri Vishambhar Prasad Nishad and Amendments (Nos. 5 to 7) by Shri Elamaram Kareem. Mr. Nishad, are you moving the Amendment?

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (उत्तर प्रदेश): सभापति महोदय, यह बिल अच्छा है और हम इसका समर्थन करते हैं, लेकिन हम यह भी निवेदन करना चाहते हैं कि जो विदेश में भगोड़े

हैं, उनके लिए तो यह बिल आ गया, लेकिन देश में ऐसी तमाम कंपनियाँ हैं, जो गरीबों से छोटी-छोटी बचत की रकम जमा करवाती हैं और फिर उसे लेकर भाग जाती हैं। मेरा अनुरोध है कि आप उनके लिए भी आगे कोई कानून बनाने का काम करें। मैं अपना अमेंडमेंट मूव नहीं कर रहा हूँ।

MR. CHAIRMAN: Mr. Kareem, are you moving the Amendments?

SHRI ELAMARAM KAREEM (Kerala): Sir, I am moving the Amendments.

SHRI ANAND SHARMA: Sir, the Amendments have not been circulated. We are not aware of the Amendments.

MR. CHAIRMAN: They have been circulated.

SHRI ANAND SHARMA: Sir, this is a valid point of order. The Minister or the Government should have ensured that the Amendments are circulated to the Members. We don't have a Copy ...(*Interruptions*)... We have not seen those Amendments. The Member who has moved would know. We don't know what the Amendments are ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: You may not have seen it. It is there. It was circulated on 24 July itself.

SHRI ANAND SHARMA: We have not seen it. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: I would come back to that, Anandji. ...(*Interruptions*)...

CLAUSE 2 – DEFINITIONS

SHRI ELAMARAM KAREEM (KERALA): Sir, I move:

(5) That at page 2, *after* line 14, the words against whom", the words "proceedings or enquiry of a bank is in place for willful defaulting of loans or" be *inserted.*

(6) That at page 2, line 17, the word "criminal" be *deleted.*

(7) That at page 2, line 18, the word "criminal" be *deleted.*

The question was put and the motion was negatived.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 3 was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In Clause 4, there are three Amendments; Amendments (Nos. 8 to 10) by Shri Elamaram Kareem. Are you moving the Amendments?

CLAUSE 4 – APPLICATION FOR DECLARATION OF FUGITIVE ECONOMIC OFFENDER AND PROCEDURE THEREFOR

SHRI ELAMARAM KAREEM (Kerala): Sir, I move:

(8) That at page 3, line 16, *for* the words "any information", the words "all the information" be *substituted.*

(9) That at page 3, line 18, *for* the words "properties or the value of', the words "properties and the value of' be *substituted.*

(10) That at page 3, lines 22 and 23, be *deleted.*

The question was put and the motion was negatived.

Clause 4 was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In Clause 5, there are three Amendments; Amendments (Nos. 2 and 3) by Shri Vishambhar Prasad Nishad and one Amendment (No.11) by Shri Elamaram Kareem. Shri Nishad, are you moving the Amendments?

श्री विशम्भर प्रसाद निषादः सर, मैं अपने अमेंडमेंट मूव नहीं कर रहा हूँ।

MR. CHAIRMAN: Now, Shri Elamaram Kareem. Are you moving your Amendment?

CLAUSE 5 - ATTACHMENT OF PROPERTY

SHRI ELAMARAM KAREEM (KERALA): Sir, I move:

(11) That at page 3, lines 45 and 46, be *deleted.*

The question was put and the motion was negatived.

Clause 5 was added to the Bill.

Clause 6 was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In clause 7, there are three Amendments; Amendments (Nos. 12 to 14) by Shri Elamaram Kareem. Are you moving them?

SHRI ELAMARAM KAREEM: Yes, Sir.

DR. K. KESHAVA RAO: Sir, he should have the right to speak on his Amendments. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: The Amendments have been circulated. ...(*Interruptions*)... Please. ...(*Interruptions*)... The Office tells me that they have circulated it on 24th July, 2018. ...(*Interruptions*)...

SHRI ANAND SHARMA: Sir, a Member who has moved the Amendment has the right to explain it. We are supporting the Bill. We can't be in such a tearing hurry that the Government does not circulate the Amendments. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: If what the Office tells me is wrong... ...(*Interruptions*)...

SHRI ANAND SHARMA: Sir, please ask the Members if they have got the Amendments. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Their duty is they can only make it available. ...(*Interruptions*)...

SHRI ANAND SHARMA: All the Members are saying that they have not seen it. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Whether you have seen it or not is a different matter. ...(*Interruptions*)... Yes, Shri Elamaram Kareem.

CLAUSE 7 – POWER OF SURVEY

SHRI ELAMARAM KAREEM: Sir, I move:

(12) That at page 4, line 17, *after* the words "any place", the words "in the country" be *inserted*.

(13) That at page 4, lines 18 to 20, be *deleted*.

(14) That at page 4, line 24, *for* the word "request", the word "instruct" be *substituted*.

The question was put and the motion was negatived.

Clause 7 was added to the Bill.

Clauses 8 to 16 were added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In Clause 17, there is one Amendment; Amendment (No. 4) by Shri Vishambhar Prasad Nishad. Are you moving?

श्री विशम्भर प्रसाद निषादः महोदय, मैं अपना अमेंडमेंट मूव नहीं कर रहा हूँ।

Clause 17 was added to the Bill.

Clauses 18 to 26 and the Schedule were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PIYUSH GOYAL): Sir, I rise to move:

That the Bill be passed.

The question was put and the motion was adopted.